सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

CAQM

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2024–25

CAQM

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वां तल, जवाहर व्यापार भवन
(एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉल्स्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली – 110001

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रारूप और रीति) विनियम, 2022 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आयोग द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ–साथ वर्ष के लिए का आयोग विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

यह वार्षिक रिपोर्ट एतद्द्वारा केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप) विनियम 2021 के खण्ड 4 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (घ) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक लेखा विवरण का प्रपत्र) नियम, 2022, के खण्ड 3 के उप खण्ड 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 17 की उप–धारा (4) के अनुसरण में प्रस्तुत की जा रही है।

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 12.12.2025

(तरुण कुमार पिथोड़े)
सदस्य सचिव

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ
1.	**परिचय**	1
2.	**आयोग का गठन**	2
3.	**आयोग की उप–समितियों का गठन**	5
4.	**आयोग का अधिदेश, लक्ष्य एवं उद्देश्य**	6
5.	**वर्ष का पुनरावलोकन**	8
6.	**वायु प्रदूषण की रोकथाम,इसका नियंत्रण और उपशमन – वर्ष 2024–25 में उठाए गए कदम प्रस्ताव, अनुसंधान और अन्य उपाय**	9
	6.1 औद्योगिक प्रदूषण में कमी	9
	6.2 डीज़ल जनरेटर (डीजी) सेट से वायु प्रदूषण में कमी	11
	6.3 निर्माण और विध्वंस(सीएंडडी) गतिविधियों से धूल प्रदूषण	12
	6.4 सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल का प्रबंधन	15
	6.5 वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी	22
	6.6 फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी	28
	6.7 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को जलाने की रोकथाम और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के माध्यम से प्रदूषण पर नियंत्रण	32
	6.8 प्रकीर्ण स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी	34
	6.9 वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर ,में हरियाली और वृक्षारोपण	34
	6.10 अनुसंधान एवं विकास पहल	37
	6.11 ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी)	37
	6.12 प्रवर्तन कार्य बल (टास्क फोर्स) – गुप्त रूप से निरीक्षण हेतु उड़न दस्ते	39
7.	**स्थापना, वित्त और बजट**	41
8.	**लेखाओं का वार्षिक विवरण 2024–25**	47
9.	**वर्ष 2024–25 के दौरान दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य**	48
10.	**अनुबंध**	49

अस्वीकरण(Disclaimer)

"प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"

संकेताक्षर

एआई	कृत्रिम मेधा
एक्यूईडब्ल्यूएस	वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली
एक्यूआई	वायु गुणवत्ता सूचकांक
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एएसजी	एंटी–स्मोग गन
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बीएस	भारत स्टेज
सी एंड डी	निर्माण और विध्वंस
सीएक्यूएम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
सीबीजी	संपीडित बायो–गॅस
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीडी	सिटी गैस वितरण
सीएचसी	कस्टम हायरिंग सेंटर
सीएनजी	कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	फसल अवशेष प्रबंधन
सीआरआरआई	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीटीओ	संचालन की सहमति
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीसीबी	दिल्ली छावनी बोर्ड
डीसीएमसी	धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन कक्ष
डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीएफपीआर	वित्तीय शक्ति नियमों का प्रत्यायोजन
डीजी	डीज़ल जनरेटर
डी एच आई	भारी उद्योग विभाग
डिस्कोम	वितरण कंपनियां

डीजेबी	दिल्ली जल बोर्ड
डीएमआरसी	दिल्ली मेट्रो रेल निगम
डीपीसीसी	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
डीएसआईआईडीसी	दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम
डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
डीयूएसआईबी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
ईसी	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
ईसीडी	उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण
ईटीएफ	प्रवर्तन कार्य बल
ईवीएस	इलैक्ट्रिक वाहन
एफपीओ	किसान उत्पादन संगठन
एफवाई	वित्तीय वर्ष
गेल	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
जीएफआर	एनसामान्य वित्तीय नियम
जीएनसीटीडी	एनसीटी दिल्ली सरकार
जीआरएपी	ग्रेडेड सिस्टम रिस्पॉंस सिस्टम
एचएआर	हरियाणा
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईएआरआई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आई एंड एफसी	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
आईजीएल	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीएम	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
आईएमडी	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईओएजीपीएल	इंडियन ऑइल अदानी गैस पाइवेट लिमिटेड
आईएसबीटी	अंतर–राज्य बस टर्मिनल
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
जे एंड के	जम्मू और कश्मीर
केएम	किलोमीटर
केवीएस	केंद्रीय विद्यालय संगठन
केडब्ल्यू	किलो वाट
एलडीओ	हल्का डीज़ल तेल

एलएनजी	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलएसएचएस	लो सल्फर हेवी स्टॉक
एमएएमसी	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज
एमसीडी	दिल्लीनगर निगम
एमएल	यंत्र अधिगम
एमओ एंड एफडब्ल्यू	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
एमओसीएंडआई	व्यापार और उद्योग मंत्रालय
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमओएचयूए	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
ओपीएनजी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमआरएसएम	मैकनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसडब्ल्यू	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट
एनबीसीसी	राष्ट्रीय भवन और निर्माण कंपनी
एनसीएपी	राष्ट्रीय साफ वायु कार्यक्रम '
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरटीसी	राष्ट्रीय राजधानीक्षेत्र परिवहन निगम
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनडीएमसी	नया दिल्ली नगरपालिका परिषद
नीरी	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पीए	सार्वजनिक घोषणा
पीपीएम	पार्ट्स पर मिलियन
पीएम	पार्टिक्यूलेट मैटर
पीएनजी	पाइप्ड प्राकृतिक गैस
पीयूसी	प्रदूषण नियंत्रण में
पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग

राज	राजस्थान
आरडीएफ	अपशिष्ट से बना ईंधन
आरईसीडी	रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रित उपकरण
आरएफआईडी	रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान
आरओडब्ल्यू	रास्ते का अधिकार
आरटीआई	सूचना का अधिकार
समर्थ	ताप विद्युत संयंत्र में कृषि अवशेषों के उपयोग संबंधी सतत कृषि मिशन
एसडीएमसी	दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल निगम
एमओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टीपीडी	टन प्रति दिन
टीपीपी	थर्मल पवार प्लांट
टीएसआर	तीन सीटों वाला (ऑटो) रिक्शा
यूएलबी	स्थानीय शहरी निकाय
ऊ.प्र.	उत्तर प्रदेश
डब्ल्यूटीई	अपशिष्ट से ऊर्जा
डब्ल्यूपी	रिट याचिका

1.परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) आयोग के कामकाज को नियंत्रित करता है। आयोग का गठन अन्य के अतिरिक्त, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, दिल्ली के एनसीटी और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों और स्वतंत्र तकनीकी सदस्यों के साथ किया गया है। आयोग को एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों और मुद्दों पर काम करने वाली विभिन्न वैधानिक उप–समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

आयोग का अधिकार क्षेत्र दिल्ली के एनसीटी के अलावा, एनसीआर में आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 27 जिलों तक विस्तारित है, जैसा कि नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है और साथ ही एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता पर असर डालने वाली गतिविधियों के लिए आसपास के क्षेत्रों तक भी विस्तारित है।

एनसीआर का क्षेत्र

*****

2.आयोग का गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में,वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव, के पद से निम्न नहीं होगा, पदेन, ;

(ग) पांच पदेन सदस्य जो या तो मुख्य सचिव हो , या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव हों ;

(घ) एक पूर्णकालिक सदस्य जो भारत सरकार का संयुक्त सचिव हो या रहा हो;

(ङ) वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों में से तीन पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य;

(च) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक तकनीकी सदस्य, पदेन ;

(छ) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा नामित एक तकनीकी सदस्य, पदेन ;

(ज) वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले गैर सरकारी संगठनों के तीन सदस्य;

(झ) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रान्स्फोर्मिंग इंडिया का एक प्रतिनिधि संयुक्त सचिव या सलाहकार के पद से नीचे न हा पदेन

(ञ) भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी आयोग के पूर्णकालिक सदस्य–सचिव के रूप में;

(ट) तीन ऐसे सदस्य जो कृषि, उद्योग, परिवहन या निर्माण जैसे क्षेत्रों से हों।

अधिनियम की धारा की उप 3–धारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग ऐसे व्यक्तियों को सह सदस्यों के रूप में सह–योजित कर सकता है जिसमें सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का नहीं हो, वाणिज्य या उद्योग के किसी भी संघ का एक प्रतिनिधि हो और ऐसे अन्य सदस्य जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

सीएक्यूएम अधिनियम के तहत अधिसूचित नियम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया है:

क) 25 अक्टूबर 2021 और 21 फरवरी, 2023 को यथा संशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2021, 27 अगस्त 2021।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (नमूने लेने का तरीका और नोटिस का प्रपत्र) नियम, 2021, 13 अक्टूबर , 2021।

ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2022, 4 मई, 2022।

घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022, 11 जुलाई, 2022, यथा संशोधित 06 अक्टूबर, 2022 ।

ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पदेन सदस्य के अलावा अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का तरीका) नियम, 2023, 21 फरवरी, 2023 ।

च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अन्य सह सदस्य) नियम, 2023, 21 फरवरी, 2023 ।

छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (उप–समितियों के पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों को देय भत्ता) नियम, 2023, 21 फरवरी, 2023।

ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने हेतु पर्यावरणीय प्रतिकर का आरोपण, संग्रहण और उपयोग) नियम, 2023, 6 नवंबर,2024 को यथा संशोधित, दिनांक 28.04.2023।

झ) पर्यावरण (ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल अवशिष्ट के उपयोग) नियम, 2023, दिनांक 11 जुलाई, 2023 को और पर्यावरण (ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल अवशिष्ट क उपयोग) नियम, 2023, दिनांक 18 जुलाई, 2023।

आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 10 की उपधारा (2) और (4) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से 17 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (व्यवसाय का संचालन और आयोग की शक्तियों के प्रत्यायोजन में शर्तें और सीमाएं) विनियम, 2021 तथा 12 मई, 2022 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रारूप और रीति) विनियमन, 2022 को अधिसूचित किया।

आयोग की शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग ने, अधिनियम की उप धारा 10 धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 07 अक्टूबर,2021 2021 को एक आदेश जारी किया, जिसमें आयोग की शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची निर्धारित की गई, जिसका प्रयोग पूर्ण आयोग,अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव या उप–समितियां आदि द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग की मंजूरी के बाद, भारत सरकार के जीएफआर और डीएफपीआर के आदेश दिनांक 25 जून, 2021, एवं मई 16 , 2024 के अनुरूप, आयोग के पास निहित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक अनुसूची भी जारी की गई ।

*****

3.आयोग की उप समितियाँ

अधिनियम की धारा 11 के तहत निम्नलिखित तीन उप – समितियां बनाने का अधिदेश दिया गया है:

(क) निगरानी और पहचान पर उप–समिति

निगरानी और पहचान पर उप –समिति का गठन अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, आदेश दिनांक 17.05.2021 के तहत, आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में, 08 सदस्यों के साथ किया गया था । जिसे समय–समय पर यथा संशोधित किया गया हैं।

(ख) सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप–समिति

सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप –समिति का गठन अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, आदेश दिनांक 17.05.2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, 15 अन्य सदस्यों के साथ किया गया था । जिसे समय–समय पर यथा संशोधित किया गया हैं।

(ग) अनुसंधान और विकास पर उप–समिति

अनुसंधान और विकास पर उप –समिति का गठन अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, आदेश दिनांक 17.05.2021 के तहत, आयोग के पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में, 09 अन्य सदस्यों के साथ किया गया था । जिसे समय–समय पर यथा संशोधित किया गया हैं।

जीआरएपी के लिए उप–समिति

दिल्ली–एनसीआर में आमतौर पर सर्दियों में प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक सांद्रता एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य योजना के रूप में उच्च वायु प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर, जनवरी 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को अधिसूचित किया गया था।

सीएक्यूएम अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत, जीआरएपी के तहत विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन और कार्रवाई करने और स्थिति की समीक्षा करने के लिए 7 अक्टूबर, 2021 को आयोग द्वारा एक उप–समिति का भी गठन किया गया था , जिसमें सीपीसीबी, डीपीसीसी, एचएसपीसीबी, आरएसपीसीबी, यूपीपीसीबी और सीएक्यूएम के सदस्य शामिल थे।

*****

4. आयोग का अधिदेश, लक्ष्य एवं उद्देश्य

वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुडी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग की स्थापना की गई है।

आयोग को ऐसे सभी उपाय करने का अधिकार है, जो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक या उचित समझे।

आयोग ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप, अपनी स्थापना के बाद से अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए क्षेत्र में कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों द्वारा सहयोगात्मक और समन्वित कार्यों के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य की सीमाओं के पार एक सामान्य "एयर–शेड" दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है।

आयोग को विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए हवा की गुणवत्ता के लिए पैरामीटर निर्धारित करने और उन क्षेत्रों में प्रतिबंध पर विचार करने का भी अधिकार है जिनमें किसी भी उद्योग या उद्योगों के वर्ग के संचालन या प्रक्रियाओं का वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

आयोग ने समय–समय पर एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने, नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम की धारा – 12 के प्रावधानों के तहत सांविधिक निदेश जारी किए हैं और वायु प्रदूषकों के निस्तारण के लिए पैरामीटर भी निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग नें परिकल्पित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्षेत्र स्तर के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के आदेश के साथ–साथ विभिन्न वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों की गंभीरता को बताने और इसे कम करने के लिए प्रभावी कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सलाह जारी की गई है ।

आयोग प्रतिष्ठित वैज्ञानिक / तकनीकी / अनुसंधान–आधारित संस्थानों के साथ भी जुड़ा हुआ है तथा आयोग ने विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण की जांच और अनुसंधान की दिशा में परियोजनाएं / गतिविधियां शुरू की हैं।

प्रभावी प्रवर्तन और सुरक्षा उपायों की दिशा में, आयोग ने वायु प्रदूषण के शमन और नियंत्रण से संबंधित, जिसमें सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन कार्रवाई के अलावा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / समिति के माध्यम से दोषी संस्थाओं पर पर्यावरणीय मुआवजा शुल्क लगाने जैसे निवारक उपाय शामिल हैं, विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों, नियमों / विनियमों, वैधानिक निदेशों और नीति दिशानिदेशों आदि के तहत प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक परिसरों, निर्माण और विध्वंस स्थलों, सड़कों और खुले क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण भी किया।

वर्ष 2024–25 के दौरान समय–समय पर आयोजित आयोग, इसकी उप–समितियों और अन्य प्रगति समीक्षा बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

पूर्ण आयोग की बैठकें	उप–समिति की बैठकें (जीआरएपी सहित)	अन्य समीक्षा बैठकें
04	56	165

*****

5. वर्ष का पुनरावलोकन

अपनी स्थापना के बाद से, आयोग एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को सख्ती से उठा रहा है और मुख्य ध्यान औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों से प्रदूषण, थर्मल पावर प्लांट सेक्टर, वाहन और परिवहन क्षेत्र, कृषि पराली जलाना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट / बायोमास जलाना, लैंडफिल साइटों में आग को रोकने तथा आयोग नें हरियाली और वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से वायु प्रदूषण में कमी, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों धूल और बिखरे हुए स्रोतों से प्रदूषण आदि के साथ वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है।

आयोग वायु गुणवत्ता मापदंडों और संबंधित मौसम संबंधी स्थितियों का लगातार और बारीकी से अध्ययन कर रहा है और आईएमडी द्वारा सलाह दी गई प्रचलित प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी स्थितियों और अनुमानों का उचित संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा समय–समय पर आवश्यक निर्देश/आदेश जारी किए जाते हैं।

आयोग ने पूर्ण आयोग की चार (4) बैठकें आयोजित कीं, जिनमे महत्वपूर्ण वैधानिक निर्देशों और सलाहों को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विभिन्न कार्यान्वयन और प्रवर्तन एजेंसियों/संस्थाओं को विभिन्न अंशदायी क्षेत्रों और संबंधित गतिविधियों से वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए ऐसे निर्देश और परामर्श जारी किए गए। इसके अलावा, वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में की गई कार्रवाइयों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए 56 वैधानिक समितियों की बैठक (ग्रेप के लिए उप–समिति सहित) और 165 अन्य क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, दिल्ली एनसीआर में उत्सर्जन सूची और उत्सर्जन आधारित स्रोत विभाजन के विकास के लिए रूपरेखा को संशोधित किया गया है। पेविंग और ग्रीनिंग उपायों के माध्यम से सड़कों के विकास/पुनर्विकास के लिए एक मानक ढांचा भी विकसित किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कामकाज के साथ–साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण समिति के कामकाज पर व्यवस्थित अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में विभिन्न कार्रवाई का मार्गदर्शन और निर्देशन करने के लिए, आयोग ने वर्ष 2024–2025 में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एनसीआर राज्यों/जीएनसीटीडी और क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों को 8 वैधानिक निर्देश, 3 परामर्श (जैसा कि **संलग्नक – I** में सूचीबद्ध है) और विभिन्न कार्यकारी आदेश जारी किए हैं।

6.वायु प्रदूषण की रोकथाम, इसका नियंत्रण और उपशमन– वर्ष 2024–25 में उठाए गए कदम, प्रस्ताव, अनुसंधान और अन्य उपाय

6.1 औद्योगिक प्रदूषण में कमी

आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से ही दिल्ली–एनसीआर में अन्य क्षेत्रों/अनुप्रयोगों सहित औद्योगिक संचालन को कोयला और अन्य प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन (Fossil fuels) से स्वच्छ अनुमोदित ईंधन में अंतरित करने के कार्य को प्राथमिकता दी है। पूरे एनसीआर के लिए मानक अनुमोदित ईंधन सूची को वर्ष 2023–24 के दौरान दिनांक 03.04.2023 को एक परिशिष्ट के माध्यम से और उन्नत किया गया (यह सीएक्यूएम वेबसाइट https//:caqm.nic.in पर उपलब्ध है।)

वर्ष 2023–24 के अंत तक, पूरे एनसीआर में चिह्नित कुल 7759 ईंधन आधारित उद्योगों में से 7449 उद्योग अनुमोदित ईंधन पर काम कर रहे थे। यद्यपि दिल्ली के सभी उद्योगों ने पूरी तरह से अनुमोदित ईंधन अपना लिया, तथापि एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में 310 उद्योग, जो अनुमोदित ईंधन नहीं अपना सके, वे या तो खुद ही बंद हो गए या संबंधित एसपीसीबी /डीपीसीसी द्वारा जारी किए गए बंद करने के निदेशों के माध्यम से बंद हो गए।

एनसीआआर में संबंधित एसपीसीबी और डीपीसीसी को औद्योगिक इकाइयों में केवल अनुमोदित ईंधन के उपयोग पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और संबंधित इकाइयों में उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने और उत्सर्जन के निर्धारित मानकों का पालन कराने के निदेश दिए गए।

आयोग ने वैधानिक निर्देश संख्या 87 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से एनसीआर राज्यों/डीपीसीसी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिवों को सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14(2) के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत/अभियोजन दर्ज करने के लिए अधिकृत किया, उद्योगों के संचालन और डीजी सेटों पर विनियमों के संबंध में निर्देशों/आदेशों के घोर उल्लंघन के मामलों में, साथ ही जीआरएपी अनुसूची सहित घोर उल्लंघन के मामलों में किए गए अन्य उपायों को सुनिश्चित करने के लिए (और निर्देश जारी करने के लिए भी) अनुमोदन किया है ।

उद्योगों का निरीक्षण – दिल्ली एनसीआर में निगरानी और निदेशों का प्रवर्तन

आयोग उद्योगों के लिए निर्धारित विभिन्न निदेशों और मानकों की निगरानी और प्रवर्तन पर उचित ध्यान देता है। डीपीसीसी/एनसीआर राज्य पीसीबी को औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण मानदंडों/नियमों/विनियमों आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित लेखा–परीक्षा /निरीक्षण करने के निदेश दिए गए। वर्ष 2024–25 के दौरान किए गए निरीक्षणों की स्थिति इस प्रकार है:

पूर्ण आयोग की बैठकें	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
निरीक्षण किये गये उद्योगों की संख्या	12,326	7,626	4,093	7,437
वैधानिक अपेक्षाओं और/या उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों की संख्या	5	179	36	195
घोर उल्लंघन के कारण बंद करने के निदेश जारी किए गए उद्योगों की संख्या	0	112	27	48

स्वच्छ ईंधन की ओर अग्रसर दिल्ली एनसीआर में पीएनजी अवसंरचना

एनसीआर में औद्योगिक अनुप्रयोगों में पीएनजी को तेजी से अपनाने की दिशा में, सभी हितधारकों अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, एनसीआर में सिटी गैस वितरण एजेंसियों (सीजीडी), औद्योगिक संघों और एसपीसीबी/डीपीसीसी के साथ घनिष्ठ समन्वय में , संपूर्ण एनसीआर में कुल 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 222 औद्योगिक क्षेत्र पीएनजी अवसंरचना/कनेक्टिविटी से लैस हो चुके हैं। वर्ष 2025 के अंत तक शेष 18 क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र, हरियाणा में 10 क्षेत्र और राजस्थान में 6 क्षेत्र) में भी पीएनजी अवसंरचना/कनेक्टिविटी होने की संभावना है।

ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का सह–प्रज्वलन

सर्दियों के महीनों, खासकर जब मौसम संबंधी परिस्थितियां पहले से ही दिल्ली–एनसीआर में सामान्य वायु गुणवत्ता के लिए प्रतिकूल होती हैं, के दौरान हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में धान की पराली जलाना गंभीर चिंता का विषय है। पराली जलाने और पराली/बायोमास जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से और न्यूनतम 5% बायोमास ताप विद्युत संयंत्र(टीपीपी) के को–फायरिंग के लिए विद्युत मंत्रालय की नीति के अनुरूप, आयोग ने पहले एनसीआर क्षेत्रों और हरियाणा और पंजाब राज्यों में उत्पन्न पराली/बायोमास के एक्स–सीटू प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक कदम के रूप में दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित 11 चिह्नित ताप विद्युत संयंत्र(टीपीपी) में कोयले की जगह बायोमास/बायोमास आधारित पैलेट्स की 5–10% सह –प्रज्वलन अनिवार्य करते हुए दिनांक 17.09.2021 को वैधानिक निदेश संख्या–42 जारी किया था। यह एनसीआर क्षेत्रों और हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में उत्पन्न पराली/बायोमास के वैकल्पिक प्रबंधन के कौशल वर्धन की दिशा में एक अच्छा कदम है।

इस संदर्भ में अनुपालन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और एमओपी/समर्थ तथा चिन्हित टीपीपी के समन्वय में सीएक्यूएम में नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसका सख्ती से पालन किया गया और वर्ष इन बिजली संयंत्रों द्वारा को–फायरिंग बायोमास की कुल मात्रा लगभग 12.98 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2024–25 के लिए दिये गए 22.64 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य का लगभग 57.32% है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में अधिसूचित पर्यावरण (ताप विद्युत सन्यत्रों द्वारा फसल अवशेष का उपयोग) नियम वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान क्षेत्र में अवस्थित विद्युत सन्यत्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कम से कम 3% से अधिक सह–प्रज्वलन के कार्यक्रम के साथ पहले ही वर्ष 2024–25 से लागू है। एमओईएफ एंड सीसी की इस अधिसूचना से सह–प्रज्वलन में वृद्धि के कायम रहने की संभावना है और इसमें वर्ष 2025–26 में और वृद्धि होगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित टीपीपी में बायो–मास पेलेट उपयोग की वर्ष–वार प्रवृत्ति चित्र 6.1 में दर्शाई गई है।

चित्र 6.1 बायोमास पेलेट्स सह–फायरिंग की वर्षवार प्रवृत्ति

6.2 डीज़ल जनरेटर सेट पर नियंत्रण से वायु प्रदूषण में कमी

डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों का अनियंत्रित उपयोग पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक है।

तदनुसार, डीजी सेटों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण/प्रणालियां तथा डीजी सेटों को दोहरे ईंधन मोड में चलाने को आयोग द्वारा प्राथमिकता के रूप में लिया गया, इसके अलावा तदनुसार, आयोग सभी हितधारकों को पूर्णतः गैस आधारित प्रणालियों को अपनाने या नवीनतम एवं कठोर उत्सर्जन मानकों वाले नए डीजी सेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया इसके अलावा समय–समय पर ईसीडी के रेट्रो फिटमेंट और एनसीआर में संचालित मौजूदा डीजी सेटों में दोहरे ईंधन किटों (डीजल और गैस) के रेट्रो–फिटमेंट के लिए प्रमाणित एजेंसियों की उपलब्धता के संबंध में प्रगति के आधार पर दिल्ली और एनसीआर में डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए आयोग द्वारा निदेश जारी किए गए।

तदनुसार, सभी मौजूदा निदेशों का अधिक्रमण/संशोधन करते हुए दिनांक 29.09.2023 को एक व्यापक निदेश संख्या 76 जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों (केवल नियमित बिजली आपूर्ति नहीं हो पाने के खिलाफ बैकअप के रूप में) के विनियमित संचालन के लिए उक्त निदेश में वर्णित कार्यक्रमों को

वैधानिक निदेश

दिनांक 11.12.2024 को यथा संशोधित दिनांक 29.09.2023 का निदेश संख्या 76

दिनांक 01.10.2023 से औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों (केवल नियमित बिजली आपूर्ति विफलताओं के खिलाफ बैकअप के रूप में) के विनियमित संचालन के लिए संशोधित कार्यक्रमों को अपनाने का प्रावधान

आपातकालीन सेवाओं के लिए डीजी सेट को दिनांक 29.09.023 के निदेश संख्या 76 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 31.12.2023 तक का समय दिया गया था। पूरी तरह से प्राकृतिक गैस/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले बिजली उत्पादन सेट विनियामक व्यवस्था से बाहर हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकता है। हालांकि, एनसीआर में सभी अनुप्रयोगों के लिए 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले डीजी सेट को अनुमति दी गई थी, जो निदेश संख्या 76 के तहत इस श्रेणी के लिए निर्धारित "इन–यूज" उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के अधीन था।

डीजी सेट के लिए ईसीडी/दोहरे ईंधन किट के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखना

डीजी सेट के लिए ईसीडी/डुअल फ्यूल किट के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गईं। 41 किलोवाट से 800 किलोवाट की क्षमता वाले डीजी सेट के लिए अब प्रमाणित आरईसीडी उपलब्ध हैं। डीजी सेट की लागू क्षमता सीमा के साथ प्रमाणित आरईसीडी की सूची भी सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, साथ ही प्रमाणन एजेंसियों सहित आरईसीडी के निर्माताओं का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। चित्र 6.2 में एक तस्वीर भी दी गई है।

डीजी सेट में दोहरी ईंधन प्रणाली

रेट्रो–फिटेड ईसीडी के साथ डीजी सेट

आयोग ने वर्ष 2024–25 में उड़न दस्ते (फ्लाईंग स्क्वाड) के माध्यम से 810 इकाइयों के 1401 डीजी सेट का निरीक्षण किया। कुल 579 संस्थाओं के डी जी सैटों की बंदी (सीलिंग) आदेश जारी किए गए जिनमें डीजी सेट संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा था। आयोग के निदेश क्र. 76 का अनुपालन नहीं कर रही कुल 208 इकाइयों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

6.3 सी एंड डी गतिविधियों से धूल का प्रबंधन

आयोग ने एक समर्पित वेब–पोर्टल के माध्यम से और धूल शमन उपायों जैसे पर्याप्त संख्या में एंटी–स्मॉग गन, धूल स्क्रीन, विंड ब्रेकर आदि का उपयोग और पानी का छिड़काव आदि से संबंधित परामर्श, आदेश और निदेश जारी कर बड़ी सी एंड डी परियोजनाओं की दूरस्थ निगरानी के लिए अपने पहले के वैधानिक निदेशों के प्रभावी अनुपालन / प्रवर्तन के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की। घोर उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों को बंद करने के निदेश भी जारी किए गए।

आयोग ने निर्माण परियोजनाओं पर धूल कम करने के उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन को तेज करने की दिशा में एसपीसीबी/डीपीसीसी को दिनांक 02.12.2024 को निर्देश संख्या 85 और एनसीआर के यूएलबी को दिनांक 02.01.2025 का निर्देश संख्या 86 जारी किए ताकि सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 कीधारा 14 (2) के अंतर्गत उल्लंघंकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत/मुकदमा दर्ज करने के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है ।

वैधानिक निर्देश

निर्देश संख्या 85 दिनांक 02.12.2024 – सी एंड डी साईट से उत्पन्न धूल (500 वर्गमीटर या उससे अधिक प्लॉट एरिया) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रासंगिक वैधानिक निर्देशों / मौजूदा नियमों और विनियमों के सख्त प्रवर्तन के लिए। वैधानिक निर्देश संख्या 85 के माध्यम से आयोग, दिनांक 02.12.2024 सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत / अभियोजन दायर करने के लिए एनसीआर राज्यों / डीपीसीसी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिव को अधिकृत किया गया ।

निर्देश संख्या 86 दिनांक 02.01.2025 – सी एंड डी साईट से उत्पन्न धूल (500 वर्गमीटर से कम प्लॉट एरिया) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रासंगिक वैधानिक निर्देशों / मौजूदा नियमों और विनियमों के सख्त प्रवर्तन के लिए। आयोग का वैधानिक निर्देश संख्या 86, दिनांक 02.01.2025 अधिकृत आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी); सचिव, नई दिल्ली नगर परिषद; और दिल्ली से सटे प्रमुख शहरों में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य कार्यपालक/उपायुक्त को गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शिकायत/अभियोजन दायर करने के लिए अधिकृत किया गया ।

प्लॉट एरिया 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाली परियोजनाओं की रिमोट मॉनिटरिंग

वेब पोर्टल पर पंजीकृत सक्रिय सी एंड डी परियोजनाओं की संख्या (31.03.2025 तक) तालिका 6.2 में दी गई है।

तालिका 6.2 सक्रिय परियोजना स्थलों की संख्या की स्थिति

राज्य	सक्रिय परियोजना स्थलों की संख्या
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	593
उत्तर प्रदेश (एन सी आर)	895
हरियाणा (एन सी आर)	1366
राजस्थान (एन सी आर)	206

500 वर्ग मीटर से कम आकार वाले छोटे सीएंडडी प्रोजेक्ट, जिन्हें वेब पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है, की भी निरीक्षण और निगरानी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, धूल को रोकने और कम करने के लिए सभी निर्धारित उपायों को ईमानदारी से लागू किया जा रहा है और ऐसी निर्माण परियोजनाओं में उनका पालन किया जा रहा है। इसे चित्र 6.3 में दर्शाया गया है। सभी श्रेणी के सीएंडडी प्रोजेक्ट के लिए, समन्वित निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद घोर उल्लंघन करने वाले सीएंडडी साइटों के खिलाफ निवारक दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उचित पर्यावरण प्रतिकर शुल्क लगाना और वसूलना, और यदि आवश्यक हो तो बंद करना शामिल है।

परियोजना स्थल पर पर लगाई गई एंटी–स्मॉग गन

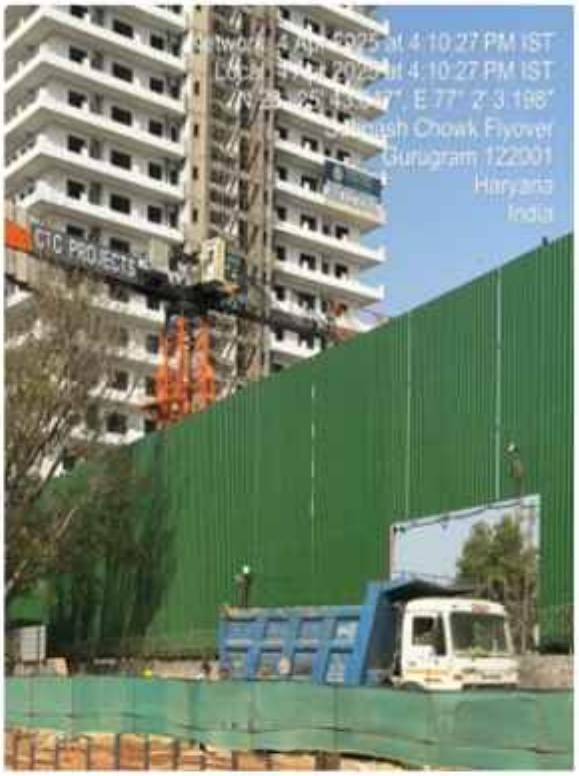

निर्माण स्थल पर लगाए गए विंड ब्रेकर

निर्माण स्थल पूरी तरह से डस्ट स्क्रीन से ढका हुआ है

डस्ट स्क्रीन से ढकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल

चित्र 6.3 निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के लिए धूल को कम करने और कम करने के लिए किए गए उपाय

6.4 सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल का प्रबंधन

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का अधिक स्तर रेगुलेटरी अथॉरिटी और आम जनता, दोनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यह समस्या खास तौर पर मॉनसून के बाद और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा गंभीर होती है, उसके बाद गर्मियों के महीनों में, जब मौसम की वजह से पॉल्यूटेंट जमा होने की समस्या और बढ़ जाती है।

हवा में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों में से, सड़कों और खुले क्षेत्रों से उड़ने वाली धूल, पूरे इलाके में पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) के सान्द्रण का एक बड़ा हिस्सा है। जमी हुई धूल का फिर से निलंबन मुख्य रूप से इन वजहों से होता है:

- **धूल का लगातार जमना:** धूल सड़क के बीच और उसके किनारे ठीक से सफाई न होने की वजह से जमी रहती है जिसे अक्सर ठीक नहीं किया जाता।
- **खराब सड़क डिज़ाइन और बनाने के तरीके** , जिसमें बिना पक्की सड़क, ऊबड़–खाबड़ सतह, और सही सरफेसिंग मटीरियल की कमी शामिल है।
- **ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी** से पानी जमा हो जाता है और सड़क की गुणवत्ता और खराब हो जाती है।
- **धूल प्रबंधन के सीमित या एक जैसे तरीके नहीं** जैसे मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (एमआरएसएम) या पानी का छिड़काव, खासकर ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगहों पर।

यह समस्या ज़्यादातर शहरों की सड़कों के बिना वैज्ञानिक डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव की वजह से है, जहाँ ठीक से सतह न होना, खराब ड्रेनेज सिस्टम और ऊबड़–खाबड़ फुटपाथ आम बात है। ऐसी खराब में रखरखाव वाली सड़कों पर गाड़ियों की ज़्यादा आवाजाही से धूल और ज़्यादा उड़ती है, खासकर उन इलाकों में जहाँ एमआरएसएम या पानी के स्प्रिंकलर से रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता।

इन समस्याओं को हल करने के लिए, आयोग के नीतिगत कागजात में सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के काम बताए गए हैं। मुख्य उपायों में शामिल हैं:

- धूल प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान करना, और फिर धूल कम करने के लिए सड़कों और सड़क के किनारे को पक्का करना।
- सेंट्रल वर्ज और सड़क के किनारे हरियाली बढ़ाने की कोशिशें, ताकि धूल को रोकने के लिए कुदरती रुकावटें स्थापित की जा सकें।
- धूल को अच्छे से और रेगुलर हटाने के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें (एमआरएसएम) लगाना।
- जमा हुई धूल को तय जगहों पर वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज़ करना ताकि वह पर्यावरण में दोबारा न जाए।
- हवा में मौजूद धूल को कम करने के तरीके अपनाना, जैसे रेगुलर पानी का छिड़काव, धूल कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल, और एंटी–स्मॉग गन (एएसजी) आदि का इस्तेमाल।
- खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से धूल कम करने के लिए सड़कों और गड्ढों की बड़े पैमाने पर मरम्मत और रीलेइंग की जाएगी।

ऊपर बताए गए तरीकों को लागू करने के बावजूद, सड़कों और खुली जगहों से निकलने वाली धूल दिल्ली एनसीआर में खराब एयर गुणवत्ता का एक बड़ा कारण बनी हुई है।

6.4.1 दिल्ली एनसीआर में धूल नियंत्रण और प्रबंधन सेल (डीसीएमसी)

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए धूल एक बड़ा कारण है, जो पूरे इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की कोशिशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके जवाब में, आयोग ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सभी सड़क मालिक एजेंसियों को धूल प्रदूषण से निपटने के लिए डस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट सेल (डीसीएमसी) बनाने का निर्देश दिया। धूल कम करने के अपने वादे को मज़बूत करने के लिए, आयोग ने 2024–2025 के दौरान खास डीसीएमसी की संख्या 62 से बढ़ाकर 68 कर दी है। हर डीसीएमसी के नोडल ऑफिसर धूल कंट्रोल के उपायों की समय पर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। वे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी–स्मॉग गन का एक्टिव इस्तेमाल पक्का करते हैं, रोड स्वीपिंग मशीनों को अच्छे से चलाने और धूल को ठीक से हटाने के लिए मॉनिटर करते हैं, और धूल के कणों को दबाने के लिए सड़कों पर रेगुलर पानी छिड़कने की देखरेख करते हैं। इन कोशिशों को मज़बूत करने के लिए, वे मैकेनिकल स्वीपर और वॉटर स्प्रिंकलर की तैनाती बढ़ाने, ज़रूरत के हिसाब से डस्ट सप्रेसेंट लगाने, और धूल के दोबारा जमने को कम करने के लिए सड़कों को चिकना, गड्ढों से मुक्त रखने पर भी काम कर रहे हैं।

पूरे साल, आयोग ने एनसीआर में डीसीएमसी के नोडल ऑफिसर्स के साथ–साथ दूसरी संबंधित रोड ओनरिंग एजेंसियों के साथ रेगुलर रिव्यू मीटिंग कीं, ताकि धूल से जुड़े खास पैरामीटर्स पर नज़र रखी जा सके और धूल कंट्रोल के तरीकों का असर देखा जा सके। दिल्ली, एनसीआर राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डीसीएमसी की लिस्ट तालिका **6.3 में दी गई है** ।

तालिका 6.3 दिल्ली और एनसीआर राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डीसीएमसी की सूची।

क्र.सं.	राज्य का नाम	डीसीएमसी की संख्या
1	दिल्ली	12
2	हरियाणा एनसीआर	22
3	उत्तर प्रदेश एनसीआर	18
4	राजस्थान एनसीआर	16
	कुल	68

6.4.2 वर्ष 2024–25 में डीसीएमसी द्वारा मुख्य पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग

वर्ष 2024–25 के लिए डीसीएमसी के माध्यम से एनसीआर क्षेत्रों में निगरानी किए गए प्रमुख पैरामीटर तालिका 6. 4 में दिए गए हैं ।

तालिका 6.4: 2024–25 के दौरान एनसीआर क्षेत्र में डीसीएमसी के मुख्य पैरामीटर

क्र.सं.	प्रमुख पैरामीटर		दिल्ली	उत्तर प्रदेश एनसीआर	हरियाणा एनसीआर	राजस्थान एनसीआर
1	साल 2024–2025 के दौरान हरित किए गए सेंट्रल वर्ज की लंबाई (km)		30	525	150	34
2	साल के दौरान बनाए गए रास्तों/सड़कों की लंबाई		164	307	99	81
3	साल के दौरान हरियाली वाले रास्तों/सड़कों की लंबाई		30	179	59	188
4	साल के दौरान मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के लिए पहचानी गई सड़कों की औसत लंबाई (km)		8024	1275	2832	234
5	मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों (एमआरएसएम) की तैनाती और उपयोग	(क) रोज़ाना तैनात एमआरएसएम की औसत संख्या	85	41	75	9
		(ख) प्रतिदिन यांत्रिक रूप से साफ की गई सड़कों की औसत लंबाई (कि.मी.)	2837	975	1950	115
		ग) साल के दौरान इकट्ठा हुई सड़क की धूल की कुल मात्रा (टन में)	52496	1885	42834	2469
6	वाटर स्प्रिंकलर की तैनाती और उपयोग	क) रोज़ाना लगाए जाने वाले वॉटर स्प्रिंकलर की औसत संख्या	245	287	145	34

क्र.सं.	प्रमुख पैरामीटर		दिल्ली	उत्तर प्रदेश एनसीआर	हरियाणा एनसीआर	राजस्थान एनसीआर
		(ख) हर दिन पानी छिड़कने वाली सड़कों की औसत लंबाई (km)	2048	1362	1015	153
		(ग) हर दिन इस्तेमाल होने वाले डस्ट सप्रेसेंट की औसत मात्रा (kg)	1	227	584	0.2
7	सड़कों/खुली जगहों पर स्टेशनरी एंटी–स्मॉग गन (ASGs) का रोज़ाना इस्तेमाल		65	137	16	3
8	सड़कों/खुली जगहों पर मोबाइल एंटी–स्मॉग गन (ASGs) की रोज़ाना औसत तैनाती		121	52	28	17
9	साल के दौरान रिपेयर किए गए सड़क पैच/गड्ढों की कुल संख्या		31716	22935	20698	14180

6.4.3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कार्य योजना के साथ वाहनों के ट्रैफिक से होने वाली धूल की समस्या को हल करने पर रिपोर्ट

सड़क की धूल के पुनर्निलंबन के अहम योगदान को देखते हुए, आयोग ने सीएसआईआर–एनईईआरआई और सीएसआईआर – सीआरआरआई के ज़रिए "दिल्ली एनसीआर में एयर गुणवत्ता में सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कार्य योजना के साथ वाहनों के ट्रैफिक से होने वाली धूल की समस्या को हल करने" नाम से एक अध्ययन शुरू किया। अध्ययन का क्षेत्र ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई और डब्ल्यूपीई) की सीमा तक सीमित था। अध्ययन क्षेत्र में राज मार्ग (NH), प्रमुख सड़क(AR) और), उप प्रपमुख सड़क समेत मुख्य सड़कों को जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मैप किया गया था।

इस अध्ययन में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाने की सलाह दी गई है। इसमें दिल्ली एनसीआर की सभी सड़कों की डिजिटल मैपिंग, जिसमें उप–प्रमुख और दूसरी सड़कें भी शामिल हैं, सड़क की

हालत का सर्वे और मैपिंग, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (MRSM) चलाने के लिए एसओपी और दिल्ली एनसीआर में शहरी सड़कों को पक्का करने और हरा–भरा करने के लिए एक जैसा फ्रेमवर्क बनाना शामिल है, ताकि सबसे अच्छे तरीकों को लगातार लागू किया जा सके। सड़क की धूल के प्रबंधन के लिए किसी भी नियंत्रण उपाय की दक्षता का मूल्यांकन, ड्रोन/गाड़ी पर लगे कम लागत वाले पीएम सेंसर का इस्तेमाल करके, इस्तेमाल से पहले, उसके दौरान और बाद में पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग के ज़रिए किया जा सकता है। एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के नीचे रोड मीडियन और रोड एज प्लांट्स को पानी देने के लिए डीएमआरसी के गंदे पानी का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है।

6.4.4 शहरी सड़कों को पक्का करने और हरियाली बढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाने के लिए समिति का गठन

शहरी सड़कों को पक्का करने और वहाँ हरियाली लाने के लिए एकीकृत फ्रेमवर्क के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल का प्रदूषण नियांत्रित करने हेतु फ्रेमवर्क निर्माण हेतु निदेशक, सीएसआईआर–केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने सड़कों को पक्का करने और वहाँ हरियाली लाने के द्वारा सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल का प्रदूषण नियांत्रित करने हेतु अनेक कार्रवाइयों की संस्तुति कर शहरी सड़कों को पक्का करने और हरियाली बढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाने संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की मुख्य संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

(क) शहरी स्थान मानकों के लिए संस्तुतियाँ

(i) मार्गाधिकार {राइट–ऑफ–वे (आरडब्ल्यूओ)} : आईआरसी गाइडलाइंस के अनुसार, रोड हायरार्की के हिसाब से मार्गाधिकार तय करें ताकि कैरिजवे, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, मीडियन और यूटिलिटी कॉरिडोर जैसे सभी कार्यात्मक तत्वों को शामिल किया जा सके।

(ii) कैरिजवे: आईआरसी गाइडलाइंस के अनुसार कैरिजवे की चौड़ाई और रोड मार्किंग डिज़ाइन करें ताकि ट्रैफिक आसानी से चले और अतिक्रमण न हो। आईआरसी गाइडलाइंस के अनुसार मोड़ों पर कैरिजवे और लेन का पर्याप्त ढलान और चौड़ाई सुनिश्चित करें।

(iii) पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएँ: सड़क के दोनों ओर कम से कम 1.8 मीटर चौड़े फुटपाथ उपलब्ध कराएँ, जिससे पैदल यात्रियों को आने–जाने में आसानी हो।

(iv) साइकिल ट्रैक: द्वि–दिशात्मक उपयोग के लिए चिकनी, फिसलन–रोधी सतह और 2.5 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई वाले साइकिल ट्रैक का निर्माण करें।

(v) सर्विस लेन और पार्किंग: व्यावसायिक और मिक्स्ड–यूज़ ज़ोन में अलग–अलग सर्विस लेन बनाएं। प्लान के हिसाब से तय पार्किंग लेन, बस–बे, लोडिंग–अनलोडिंग बे, पार्किंग एरिया बनाएं और मेन कॉरिडोर में सड़क पर पार्किंग न करने दें।

(vi) सेंट्रल मीडियन: ग्रीन कवर और रिफ्लेक्टिव क्रैश बैरियर के साथ 1.2–2.0 मीटर की सेंट्रल मीडियन चौड़ाई बनाए रखें। 4 या उससे ज़्यादा ट्रैफिक लेन वाली सड़कों पर मीडियन के साथ कम से कम 3 मीटर के पैदल यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया होना चाहिए।

(vii) ड्रेनेज: सरफेस वॉटर रनऑफ के लिए 1–2% का सही ड्रेनेज स्लोप सुनिश्चित करें। ड्रेन की सही चौड़ाई और सीवर लाइनों से कनेक्शन सुनिश्चित करें। रिचार्ज पिट और रेन गार्डन जैसे स्टॉर्म वॉटर हार्वेस्टिंग फीचर्स को एकीकृत करें।

(viii) सुरक्षा संबंधी विशेष सावधानी : आईआरसी 67:2022 के अनुसार संकेत चिह्न लगाएं, सही जगह, दृश्यता और रिफ्लेक्टिविटी मानक, सुनिश्चित करें। सुरक्षा बढ़ाने के लिए मोड़ों, गति नियंत्रण क्षेत्र और स्कूल ज़ोन पर अग्रिम चेतावनी संकेत चिह्न लगाएं। आईआरसी:2015 के अनुसार रोड मार्किंग लगाएं, जिसमें लेन लाइन, एज लाइन, स्टॉप लाइन और पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग शामिल हैं। रात में बेहतर दृश्यता के लिए लेन डिवाइडर औरनोडों पर रोड स्टड लगाएं।

(ख) हरित उपायों के माध्यम से आरओडब्ल्यू में सड़क की धूल को कम करने के लिए संस्तुतियाँ

(i) वृक्षारोपण योजना : फुटपाथ, मीडियन, ट्रैफिक आइलैंड,गोल चक्कर और फ्लाईओवर के नीचे अलग–अलग वृक्षारोपण योजना तैयार करें। वृक्षारोपण योजना में उन पेड़ों, झाड़ियों, लताओं, चढ़ने वाले पौधों और घासों कीसूची होनी चाहिए जिन्हें खास हालात में उगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, छोटे ट्रैफिक आइलैंड या पतले मीडियन में बड़े पेड़ नहीं उगाए जा सकते। फ्लाईओवर वगैरह के नीचे छाया सहने वाली प्रजातियां उगानी होंगी।

(ii) वृक्षारोपण योजना बनाते समय, देसी, सूखा झेलने वाली प्रजातियों और ऐसी प्रजातियों पर ध्यान दें जो प्रदूषण सह सकें और धूल को रोकने में अच्छी हों।

(iii) पेड़ लगाने की योजना स्ट्रीट लाइटिंग योजना और दूसरे उपयोगिता योजना के साथ होना चाहिए। पेड़ों से रोशनी और ट्रैफिक सिग्नल में रुकावट नहीं आनी चाहिए।

(ग) दिल्ली सड़क मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली (आरएएमएस) के विकास के लिए संस्तुतियाँ

(i) सभी सड़क एजेंसियों के लिए दिल्ली आरएएमएस के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी।

(ii) नोडल एजेंसी आरएएमएस तथा पीसीआई–आधारित प्राथमिकता निर्धारण में विशेषज्ञता वाले तकनीकी सलाहकारों को नियुक्त करेगी।

(iii) पिछले अध्ययनों के साथ उपलब्ध मौजूदा मानक आधार मानचित्र का उपयोग करें और दिल्ली आरएएमएस के विकास के लिए दिल्ली की सभी सड़कों के संबंध में सभी स्थानिक और विशेषता डेटा को अपडेट करें।

(iv) सड़क संपत्ति प्रबंधन पर आईआरसी 130–2020 मानक के अनुसार मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), फुटपाथ की स्थिति (कार्यात्मक और संरचनात्मक), यातायात भार, रखरखाव इतिहास आदि के संबंध में दिल्ली रोड नेटवर्क के लिए जीआईएस डेटाबेस बनाने के लिए एक वेब–जीआईएस–आधारित सड़क संपत्ति प्रबंधन प्रणाली लागू करना।

(v) आईआरसी 82–2023 दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सड़कों के लिए फुटपाथ स्थिति सूचकांक (पीसीआई) की गणना करें।

(vi) सड़क की दशा का विश्लेषण करने के लिए आरएएमएस डेटा का उपयोग करें और जीवन चक्र लागत विश्लेषण के आधार पर मानक सड़क रखरखाव प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करके वार्षिक रखरखाव योजनाएँ तैयार करें।

(vii) सड़क एजेंसी के कर्मचारियों में आधुनिक सड़क रखरखाव के तरीकों के बारे में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना।

(viii) सड़क के नुकसान और धूल से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्टिंग के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं और धूल कम करने के लिए पर्यावरण – अनुकूल निर्माण कार्य के तरीकों को बढ़ावा दें।

(ix) सड़क के रखरखाव से जुड़े मामलों की नागरिक रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिए आरएएमएस के साथ जुड़ा एक पब्लिक वेब पोर्टल बनाना।

(घ) धूल नियंत्रण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप की संस्तुतियाँ

(i) साइट पर कोल्ड मिक्स तैयार करने और बिछाने के लिए मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग करके सतह को ओवरले करने के लिए आईआरसीः एसपी 100 के अनुसार कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करें।

(ii) आईआरसीः एसपी 100 के अनुसार संरचनात्मक रूप से मजबूत फुटपाथों पर ओवरले के रूप में माइक्रो–सरफेसिंग का उपयोग करें।

(iii) प्राइम और टैक कोटिंग के लिए गर्म बिटुमेन को बिटुमेन इमल्शन से बदलें।

(iv) सभी गड्ढों की तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए, चाहे वे छोटे हों या मीडियम साइज़ के (IRC SP 82)

(v) आईआरसी एसपी 100 के अनुसार 13 मिमी एनएमएएस समुच्चय के साथ कोल्ड मिक्स तकनीक का उपयोग करके मशीनीकृत गड्ढा मरम्मत मशीन का उपयोग करें।

(vi) आईआरसी एसपी 79 के अनुसार भारी यातायात वाली शहरी सड़कों के लिए बिटुमेन मैस्टिक के स्थान पर स्टोन मैस्टिक डामर (एसएमए) का उपयोग करें।

(vii) शहरी सड़कों पर सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स (सीजीबीएम) का इस्तेमाल करें, जहाँ पानी भर जाता है और जहाँ भी हो सके, बार–बार मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। सीजीबीएम को IRC SP 125 के अनुसार बिछाया जा सकता है।

(viii) फुटपाथ की परतों के निर्माण के दौरान बार–बार पानी दें, स्टेबलाइजर और धूल दबाने वाली दवा का इस्तेमाल करें, कवर जमा करें और वाहनों की गति सीमित करें।

6.4.5. मार्गदर्शन दस्तावेजः

सड़क धूल एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने और कम करने में एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए कण पदार्थ के उत्पादन और रिलीज में योगदान देता है। इस समस्या को दूर करने की रणनीति विविध होनी चाहिए और केवल सड़क की सफाई और सफाई तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह समस्या शहरी सड़कों के अवैज्ञानिक निर्माण और प्रबंधन के कारण भी होती है। उपरोक्त समिति ने "शहरी सड़कों के निर्माण और हरियाली के लिए मानक ढांचा" विकसित किया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, आयोग ने सभी एनसीआर राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिनांक 07.01.2025 को समिति द्वारा विकसित ढांचे को संलग्न करते हुए एक मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया। । मार्गदर्शन दस्तावेज़ के पांच तत्व इस प्रकार हैं:

1. शहरी सड़कों के जगह मानकों/पंक्ति और क्रॉस सेक्शन तत्वों के अनुसार शहरी सड़कों का विकास/पुनर्विकास/पैविंग

2. हरित उपायों के माध्यम से दाएं रास्ते के भीतर सड़क धूल का शमन

3. सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (आरएएम) के माध्यम से सड़क रखरखाव और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना

4. धूल नियंत्रण के लिए उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से निर्माण में क्रांति लाना

5. परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना

6.5 वाहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण का निवारण

दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। वाहनों की बढ़ती संख्या, ट्रैफिक जाम और अच्छे सार्वजनिक परिवहन की कमी ने प्रदूषण को कम करना कठिन बना दिया है, भले ही वाहन प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ हो। 2024–2025 में, आयोग ने वाहनों के प्रदूषण को कम करने के तरीके खोजने के लिए दिल्ली सरकार और अन्य राज्य अधिकारियों के साथ कई बैठकों में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है।

परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से, आयोग ने एनसीआर राज्य सरकारों और जीएनसीटीडी के परामर्श से वर्ष 2024–2025 के दौरान दिल्ली–एनसीआर में स्वच्छ गतिशीलता के लिए निम्नलिखित नीतिगत नुस्खे पर विचार किया।

6.5.1 दिल्ली–एनसीआर– सिटी बस सेवा में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में वृद्धि

जनता के लिए किफायती और आरामदायक परिवहन प्रदान करने, यातायात की भीड़ को कम करने और वाहन प्रदूषण में कटौती करने के लिए, एनसीआर में सीएनजी या ईवी पर चलने वाली सिटी बसों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा निर्धारित जनसंख्या–आधारित दिशानिर्देशों और सेवा मानकों के अनुसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) और अन्य एनसीआर राज्य सरकारें इस पर काम कर रही हैं।

दिल्ली:

परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी ने परिवहन प्रणाली में सुधार और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के अपने प्रयासों में, सार्वजनिक परिवहन के साथ एकीकरण के माध्यम से अंतिम–मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उपायों को लागू किया है। किए गए उपायों में शामिल हैं:

- आस–पास के क्षेत्रों को मेट्रो स्टेशनों से जोड़ने के लिए मोहल्ला फीडर बस सेवा शुरू की।
- डीएमआरसी के साथ पड़ोस के अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए 9 मीटर ई–बसें।
- डीएमआरसी के साथ साझेदारी में अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए 343 से अधिक ई–ऑटो तैनात किए गए हैं।
- एक सेवा (एमएए) एप्लिकेशन के रूप में एंड–टू–एंड मोबिलिटी के लिए अवधारणा के प्रमाण का विकास जो मेट्रो, डीटीसी/डीआईएमटीएस बसों और आईपीटी सेवाओं जैसे ई–रिक्शा के टिकट और एकीकरण को सक्षम कर सकता है।

दिल्ली में स्वच्छ बसों को शामिल करने की योजना चित्र 6.4 में दिखाई गई है ।

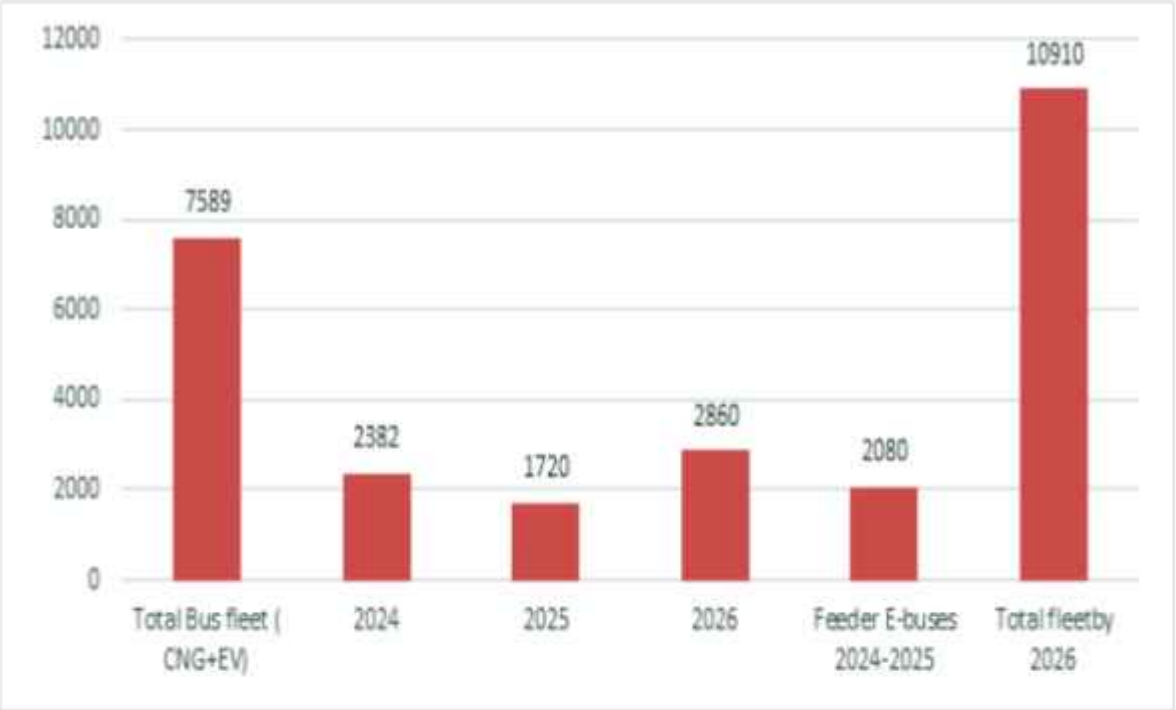

चित्र 6.4 एनसीआर दिल्ली में स्वच्छ बसों को शामिल करने की योजना

हरियाणा

हरियाणा के परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 5 जिलों रोहतक, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी और करनाल में सिटी बस सेवा प्रदान करने के लिए हरियाणा सिटी बस सेवा लिमिटेड की स्थापना की है। प्रत्येक शहर के लिए 50 ई–बसें निर्धारित की गई हैं और शुरू में 375 ई–बसों के लिए क्रय आदेश रखा गया है।

वर्तमान में, गुरुग्राम और फरीदाबाद शहर में सिटी बस सेवाएं पहले से ही चल रही हैं, जो क्रमशः जीएमसीबीएल और एफडीए द्वारा संचालित हैं, जिनमें 150 और 50 सीएनजी बसों का कुल बेड़ा है। एमओएचयूए मापदंड के अनुसार प्रत्येक शहर को 100 बसों की आवश्यकता होती है। इन 02 शहरों के लिए 2024 में प्रत्येक शहर के लिए 100 ई–बसें खरीदने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, एचसीबीएसएल द्वारा पानीपत और करनाल में सिटी बस सेवा भी चालू की गई है।

हरियाणा के अन्य एनसीआर शहरों/जिलों के लिए:

भिवानी, नूंह, झज्झर, पलवल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और जींद जिलों के लिए सिटी बस सेवा का संचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और उनके पास शहर के संचालन के लिए ई–बसों (40 बसें या अधिक) की पर्याप्त आवश्यकता नहीं है। इन शहरों के लिए सिटी बस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, स्थानीय यात्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिनी–बीएस–IV और बीएस–VI डीजल बसों के साथ–साथ मानक गैर–एसी बसों का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश

वर्तमान में, सिटी बस सेवा संचालन केवल उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों के गाजियाबाद और मेरठ शहरों में है। गाजियाबाद और मेरठ शहरों में 138 बसें (80 सीएनजी, 50 ई–बसें और 8 बीएस–VI) हैं। एमओएचयूए मापदंड के अनुसार, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर के लिए 410, 490 और 220 बसों की आवश्यकता है क्रमशः इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और मेरठ शहर। के लिए पीएम ई–बस सेवा योजना के तहत 150, 100 और 100 ई–बसों की खरीद की जा रही है।

6.5.2 स्वच्छ गतिशीलता में परिवर्तनः एनसीआर शहरों से दिल्ली तक इंटरसिटी बस सेवाएं, एनसीआर शहरों और गैर–एनसीआर शहरों के बीच दिल्ली/एनसीआर कस्बों में

एनसीआर राज्य (हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश)

एनसीआर राज्यों (हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) को 2023 में निर्देश संख्या 78 दिनांक 19.10.2023 के माध्यम से इन राज्यों से दिल्ली और एनसीआर के लिए चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं विशेष रूप से बसों को स्वच्छ मोड में स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया गया था। दिनांक 31.03.2025 तक निदेश संख्या 78 के कार्यान्वयन की स्थिति **तालिका 6.5** में दी गई है।

तालिका 6.5 एनसीआर में निर्देश सं 78 के लागू होने की स्थिति

	हरियाणा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	कुल
बसों की कुल ज़रूरत	2030	378	2514	4922
ईवी/सीएनजी/बीएस–VI पर चलने वाली बसों की संख्या	1435	378	2514	4327
शेष बसों को बदला जाएगा	595	-	-	595
प्रतिस्थापन के लिए लक्षित योजना	595 जुलाई तक, 2025	बदलाव पूरा हुआ		

स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से आस–पास के राज्यों से दिल्ली–एनसीआर में आने वाली अंतर–शहर बस सेवाएं, वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसका समर्थन करने के लिए, आयोग ने 14 जून 2024 को निर्देश संख्या 81 जारी किया, जिसमें स्वच्छ ईंधन विकल्पों के लिए अंतर–शहर बस सेवाओं को स्थानांतरित करने का आह्वान किया गया है।

इस दिशा में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे पड़ोसी राज्यों से दिल्ली–एनसीआर आने वाली बसों में बदलाव के लिए एक योजना बनाई गई है।

तालिका 6.6 दिनांकः– 31.03.2025 को इंटरसिटी बस सेवाएं चलाने के लिए राज्यवार लक्षित समयसीमा प्रदर्शित करती है।

एस. नं.	राज्य	कुल ज़रूरी बसों की संख्या (AC+ साधारण)	अभी ऐसी सेवा में चलने वाली बसों की संख्या (सिर्फ़ EV / सीएनजी / BS-VI डीज़ल)	अंतर (बसों की संख्या)	स्वच्छ मोड में पूरी तरह से बदलाव के लिए समय सीमा।
1.	जम्मू और कश्मीर	66	20	46 *	
2.	पंजाब	147	105	42	दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा
3.	हिमाचल प्रदेश	238	207	31 *	
4.	उत्तराखंड	504	310	194 *	
5.	मध्य प्रदेश	14	04	10 *	
	कुल योग	**969**	**646**	**323**	

*: नियम न मानने वाली बसों का चलना बंद हो गया है

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों में शेष बसों का स्वच्छ मोड में बदलाव अभी भी प्रगति पर है। वर्तमान में इन राज्यों से लगभग 67% बसें (969 बसों में से 646) ईवी / सीएनजी / बीएस–VI पर पहले ही परिवर्तित हो चुकी हैं।

6.5.3 एनसीआर में डीजल ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना

आयोग ने निर्देश संख्या 70 दिनांक 30.11.2022 के माध्यम से एनसीआर में केवल सीएनजी / इलेक्ट्रिक ऑटो के नए पंजीकरण को अनिवार्य किया 01.01.2023. मौजूदा डीजल ऑटो को 2026 तक श्रेणीबद्ध कर पूरे एनसीआर से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारें व्यापक रूप से योजना बनाएंगे और डीजल ऑटो रिक्शा को पूरी तरह से समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

क)गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद, 31.12.2024 तक – पहले से ही लागू

ख)एनसीआर में सोनीपत, रोहतक, झज्जर और बागपत के जिले, 31.12.2025 तक;

ग) एनसीआर के सभी अन्य जिले, 31.12.2026 तक; इस प्रकार, एनसीआर में चल रहे **सभी ऑटो रिक्शाओं के लिए या तो सीएनजी या बिजली ईंधन से चलने के लिए लक्ष्य 01.01.2027. तक का है** ।

6.5.4 संबंधित एनसीआर राज्यों की ईवी नीति के अनुसार ईवी और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को शामिल करना।

6.5.4.1 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में का अधिकाधिक उपयोग

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्य राज्यों ने अपनी ईवी नीतियों को अपडेट किया है। आयोग ने लंबी अवधि में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव को भी मान्यता दी है। 2024 के दौरान, पंजीकृत कुल वाहनों में से 11% दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अन्य एनसीआर जिलों में लगभग 3.4% थे।

संबंधित राज्य सरकारों और जीएनसीटीडी के आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2025 तक एनसीआर में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या इस प्रकार है:

ज़रूरत– 3,76,152	हरियाणा– 81,528
ज़रूरत– 1,32,914	राजस्थान– 15,487

6.5.4.2 चार्जिंग बुनियादी ढांचा

इस बदलाव का समर्थन करने के लिए, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं और उपयोग की जाने वाली बैटरी के निपटान के लिए सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, खासकर इसलिए क्योंकि आने वाले वर्षों में सड़कों पर और अधिक ईवी अपेक्षित है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में कुल 3,100 बैटरी चार्जिंग स्टेशन और 4,793 चार्जिंग पॉइंट पहले से ही मौजूद हैं जबकि एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में 488 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं जो तालिका 6.7 में दिए गए हैं।

तालिका 6.7 एनसीआर क्षेत्रों में उपलब्ध चार्जिंग स्टेशन/बिंदु

एनसीआर राज्य	चालू किए गए चार्जिंग स्टेशन/बिंदु
दिल्ली	3,497/5,612
हरयाणा	304
राजस्थान	19
उत्तर प्रदेश	62/171

चित्र 6.5 एनसीआर क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन/बिंदु

6.5.5 पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं – निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क का युक्तिकरण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10 अगस्त, 2020 को एनसीआर परिवहन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में प्रतिकूल योगदान को ध्यान में रखते हुए, एमसीडी (दिल्ली में पांच शहरी स्थानीय निकाय) और एनसीआर में अन्य संबंधित अधिकारियों को एनसीआर के लिए विस्तृत व्यापक पार्किंग योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, दिनांक 24.042024 की एक परामर्श के साथ, आयोग ने दिल्ली में शहरी स्थानीय निकायों अर्थात एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी को निर्देश संख्या 82 दिनांक 20.08.224 – "सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए निजी वाहनों के लिए बढ़ी हुई पार्किंग शुल्क" जारी किया। स्थानीय क्षेत्र – विशिष्ट एकीकृत पार्किंग प्रबंधन योजनाओं और संबंधित मूल्य निर्धारण रणनीतियों की समीक्षा के आधार पर अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क की व्यापक समीक्षा और तर्कसंगत बनाया गया।

6.5.6 2024–25 के दौरान दिल्ली–एनसीआर में वाहनों से उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए अन्य कार्रवाई।

6.5.6.1 बिना पीयूसी के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, भौतिक रूप से प्रदूषक /अतिभारित वाहन नए "प्रदूषण अंडर कंट्रोल" (पीयूसी) प्रमाणपत्र व्यवस्था के तहत उत्सर्जन मानकों के अनुपालन और वाहनों के पीयूसी मानदंडों के अनुपालन और नियमित प्रमाणीकरण का पता लगाने के लिए, आयोग ने संबंधित राज्यों और जीएनसीटीडी के साथ ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का प्रयास किया है। एनसीआर में 2024–25 के दौरान पीयूसी उल्लंघन/स्पष्ट रूप से प्रदूषण/के लिए चालान किए गए वाहनों का विवरण तालिका 6.8 में दिया गया है।

तालिका 6.8 एनसीआर में 2024–25 के दौरान पीयूसी उल्लंघन/स्पष्ट रूप से प्रदूषण/के लिए चालान किए गए वाहनों का विवरण

दिल्ली – 7,03,171	हरियाणा – 1,28,290
यूपी – 1,56,110	राजस्थान – 20,143

6.5.6.2 जीवन समाप्ति वाहनों (ईएलवी) का परिसमापन

अकेले दिल्ली में लगभग 59 लाख डीरजिस्टर्ड ईएलवी हैं, जिनमें से 2–व्हीलर और 4–व्हीलर क्रमशः लगभग 39 लाख और 18 लाख हैं। हालांकि, आईआईटी, दिल्ली और परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 1.5 से 2.0 लाख ईएलवी सड़क पर हैं। इसी तरह, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों में क्रमशः 27.5, 12.4 और 6.1 लाख डीरजिस्टर्ड ईएलवी हैं।

माननीय एनजीटी निर्देशों के अनुरूप, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया था, यह सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए कि 10/15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल/डीजल वाहन एनसीआर में नहीं चलें, संबंधित राज्यों और जीएनसीटीडी को ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाना था। 2024–25 के दौरान संबंधित एजेंसियों द्वारा एनसीआर में लगाए गए ओवरएज्ड वाहनों का विवरण तालिका 6.9 में दिया गया है।

तालिका 6.9 2024–25 के दौरान संबंधित एजेंसियों द्वारा एनसीआर में जब्त किये गए पुराने वाहनों का विवरण

दिल्ली – 32,211	हरियाणा – 5,604
यूपी – 2,846	राजस्थान – 12,718

6.5.6.3 स्क्रैपिंग नीति का कार्यान्वयन

एनसीआर राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 2022 में संशोधित आरवीएसएफ नियम, 2021 के अनुपालन में "वाहन स्क्रैपेज नीति" अधिसूचित की गई है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के हित में जल्द से जल्द पुराने और अयोग्य वाहनों को चलन से बाहर करना है। नीतियों का उद्देश्य एक विशेष आयु के बाद पंजीकरण के नवीनीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण और फिटनेस परीक्षण के लिए और मोटर वाहन कर में अधिभार के रूप में हतोत्साहन के लिए उच्च शुल्क लगाया जाना है। एनसीआर राज्यों में स्थापित आरवीएसएफ सुविधाओं की सूची तालिका 6.10 में दी गई है।

तालिका 6.10: एनसीआर राज्यों में इंस्टॉल की गई RVSF सुविधाओं की सूची

राज्य	आरवीएसएफ की संख्या
दिल्ली	01 (स्वीकृत)
हरियाणा	18
राजस्थान	Nil
उत्तर प्रदेश	17

6.6 फसल अवशेष जलने से वायु प्रदूषण का उपशमन

आयोग ने संबंधित हितधारकों के साथ उचित विचार–विमर्श के बाद, पराली जलाने की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए जून, 2021 में एक विस्तृत और व्यापक ढांचा जारी किया। धान की पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उक्त रूपरेखा के आधार पर कार्य योजना साल–दर–साल आधार पर तैयार की गई थी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (एनसीआर जिलों के लिए), राजस्थान (एनसीआर जिलों के लिए) और जीएनसीटीडी की राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई थी।

2024 में धान के अवशेषों के जलने की घटनाएं:

बाद के वर्षों (2020–2024) के दौरान, सीएक्यूएम के निर्देशों और परामर्शिकाओं के कार्यान्वयन के साथ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में पर्याप्त कमी आई है (चित्र 6.6 और चित्र 6.7)। पंजाब में पराली जलाने के मामलों की संख्या 2020 में 83,002 से घटकर 2024 (87 %) में 10,909 और इसी अवधि में हरियाणा 4,202 से घटकर 1,406 (67%) हो गई है। कुल मिलाकर, सभी क्षेत्रों में कुल घटनाएं 2020 में 87,632 से घटकर 2024 में 12,750 हो गईं (तालिका 6.11)।

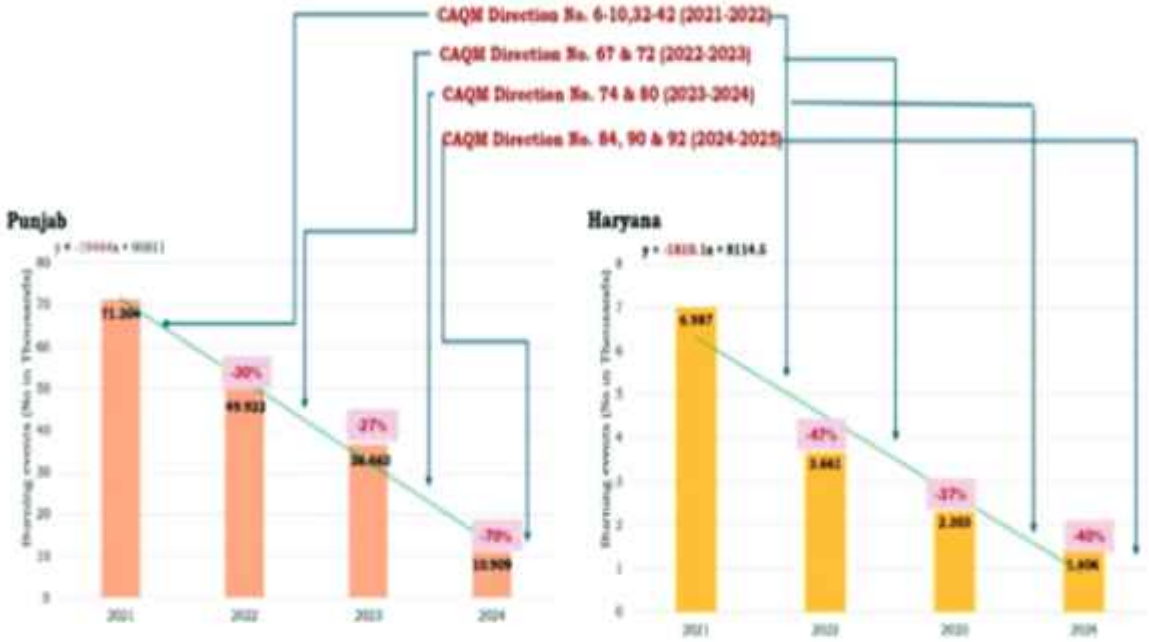

चित्र 6.6 : पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के मौसम (15 सितंबर – 30 नवंबर) में पराली जलाने की कुल घटनाओं का आँकड़ा

चित्र 6.7: धान की कटाई के मौसम 2024 के दौरान सीएक्यूएम टीम द्वारा की गई गतिविधियों की क्षेत्र का अवलोकन (क) पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी, (ख) एक्स सिटू प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी।

तालिका 6.11: एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में धान की फसल के मौसम (15 सितंबर – 30 नवंबर) में संचयी पराली जलाने के आंकड़ों की गिनती करती है

राज्य का नाम	2020	2021	2022	2023	2024
पंजाब	83002	71304	49922	36663	10909
हरियाणा	4202	6987	3661	2303	1406
उत्तर प्रदेश (एनसीआर)	407	252	198	212	414
कुल (राजस्थान में दिल्ली और एनसीआर के जिलों सहित)	87632	78550	53792	39186	12750

धान की कटाई के मौसम, 2025 के लिए अग्रिम योजना / तैयारी की दिशा में, आयोग ने 2025 के दौरान धान की बुवाई के मौसम 2025 से पहले संबंधित राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि संबंधित राज्य मशीनरी को संवेदनशील बनाया जा सके। 2025 के दौरान धान की खेती की आग के पूर्ण उन्मूलन को लक्षित करने के लिए पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण।

आयोग द्वारा सुझाए गए ढांचे और वर्ष 2021–2024 से सीखने के आधार पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 के लिए अद्यतन कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं। प्रस्तुत की गई संबंधित कार्य योजनाओं पर 27/03/2025 को आयोजित पूर्ण आयोग की बैठक में विचार–विमर्श किया गया था।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को 2025 के दौरान धान की पराली जलाने के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संशोधित कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रभावी प्रवर्तन और निगरानी तंत्र सहित निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

i. धान पराली प्रबंधन (फसल विविधीकरण/यथास्थान प्रबंधन/चारा आदि) के प्रस्तावित मोड के लिए सभी गांवों में प्रत्येक खेत का मानचित्रण।

ii. जिले के सभी किसानों को कवर करते हुए किसानों के एक समूह को विशिष्ट नोडल अधिकारी का नामांकन । प्रभावी निगरानी के लिए प्रत्येक नोडल अधिकारी के साथ अधिकतम 50 किसानों को टैग किया जा सकता है।

iii. सीआरएम मशीनों की सूची की व्यापक समीक्षा, जिसमें पुराने गैर–कार्यात्मक मशीनों को छोड़ना शामिल है– विभिन्न प्रकार और संख्याओं की खरीद के लिए एक नया अंतर विश्लेषण और योजना। 2025 के लिए मशीनरी का संचालन करने की आवश्यकता है।

iv. व्यापक समीक्षा के अनुसार नई सीआरएम मशीनों की समय पर खरीद सुनिश्चित करना, अगस्त 2025 तक अनुपालन किया जाना है।

v. सीएचसी में अधिकतम मशीन उपलब्धता और विशेष रूप से छोटे/सीमांत किसानों के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।

vi. सीएचसी के माध्यम से छोटे/सीमांत किसानों के लिए सीआरएम मशीनों की अनिवार्य किराया–मुक्त उपलब्धता।

vii. योजना, खरीद, मशीनों की बुकिंग और उनके ऑन–ग्राउंड उपयोग के लिए आईटी का प्रभावी उपयोग।

viii. विभिन्न जिलों/गांवों में कटाई के पैटर्नों/अनुसूचियों के आधार पर इन मशीनों की आवाजाही की योजना सहित पूर्व–सीटू प्रबंधन के लिए बैलर, रेकर और अन्य मशीनों का अधिकतम उपयोग।

ix. धान के भूसे की गांठों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त भंडारण सुविधा की योजना, जिसमें आग के कारण होने वाले नुकसान को कम करना शामिल है, एक्स–सीटू उपयोग के अनुमानों के अनुरूप– एक अंतर विश्लेषण किया जाना चाहिए और सरकार / पंचायत भूमि के पार्सल की पहचान की जानी चाहिए और धान के भूसे की गांठों के भंडारण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

x. एक्स–सीटू अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न रूपों में धान भूसे की एक मजबूत और निरंतर आपूर्ति श्रृंखला का समेकन – प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तरीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन योजना विधिवत मैपिंग बैलिंग, पेलेटिंग/ब्रिकेटिंग और भंडारण बुनियादी ढांचे और पहचाने गए अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों के साथ टैगिंग तैयार की जानी है।

xi. पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान के भूसे की खरीद के लिए एक सामान्य निर्धारित दर अनिवार्य करना जैसा कि हरियाणा राज्य में किया गया है।

xii. धान अवशेष उत्पादन, सीआरएम उपयोग और इसके स्व–स्थाने (इन सिटू) और पूर्व–स्थाने (एक्स सिटू) उपयोग की निगरानी के लिए वास्तविक समय और सुसंगत डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करें।

xiii. स्वचालित सूचना साझा करने और परिणामों की संयुक्त निगरानी के माध्यम से धान के भूसे के पूर्व–स्थाने प्रबंधन के लिए एमओए और एफडब्ल्यू/एमओपीएनजी/सीपीसीबी/एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं का प्रचार और अभिसरण।

xiv. एक औद्योगिक संपदा में कई इकाइयों को भाप की आपूर्ति करने के लिए एक "पायलट" सामान्य धान पुआल आधारित बॉयलर स्थापित करें।

xv. ताप विद्युत संयंत्रों की तर्ज पर ईंट भट्ठों में सह–फायरिंग के लिए धान के भूसे के पैलेट/ब्रिकेट के उपयोग को अनिवार्य करना (आयोग द्वारा इस आशय के विस्तृत निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे)।

xvi. जिला/ब्लॉक स्तर पर एक समर्पित "पराली सुरक्षा बल" का गठन जिसमें पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नोडल/क्लस्टर अधिकारी और अन्य हितधारक विभागों

के अधिकारी शामिल हैं, ताकि खुले धान की पराली जलाने की किसी भी घटना की बारीकी से निगरानी, निगरानी और सुरक्षा की जा सके।

xvii. कृषि आग की उपग्रह रिकॉर्डिंग से बचने के लिए देर शाम के घंटों के दौरान कुछ किसानों द्वारा पराली जलाने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए देर शाम के घंटों के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गहन निगरानी करना।

xviii. नागरिकों को पराली जलाने की घटनाओं के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करना।

xix. कृषि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियों को सुनिश्चित करना और ऐसे सभी किसानों के संबंध में उपयुक्त ईसी शुल्क लगाना और वसूलना जो अभी भी पराली जलाने का सहारा लेते हैं।

दिल्ली के जीएनसीटी और राजस्थान राज्य सरकार को भी सलाह दी गई है कि वे फसल कटाई के दौरान धान की पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में हर संभव प्रयास करें।

6.7 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलने की रोकथाम और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के माध्यम से प्रदूषण का नियंत्रण

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) मानव स्वास्थ्य और ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन के साथ, सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक से निपटना मुश्किल बनाते हैं। उत्पन्न अपशिष्ट को ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लैंडफिल / डंपसाइट में अनुचित निपटान होता है। एमएसडब्ल्यू के इस कुप्रबंधन के कारण बड़ी संख्या में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) / खुले बायोमास के अनियंत्रित खुले जलने के मामले गंभीर चिंता का विषय हैं और कण पदार्थ (पीएम10 और पीएम2.5) और गैसीय प्रदूषकों (संख्या 2, एसओ2, और सीओ) के उत्पादन के कारण वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक हैं। एमएसडब्ल्यू के खुले जलने से, जिसमें प्लास्टिक और ऐसी अन्य सामग्री भी शामिल होती है, डाइऑक्सिन और फुरान का उत्पादन होता है, जो बेहद विषाक्त और गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है। लैंडफिल में मिश्रित एमएसडब्ल्यू भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा कण पदार्थ, सीएच4, सीओ2 और एनएच3 जारी कर सकता है। लैंडफिल में पीएम को मशीनरी के परिचालन , बिना पक्की सड़कों, अपशिष्ट जलने (दुर्घटना) और शुष्क अपशिष्ट निलंबन से प्रसार होता है, जो हवा में उड़ सकता है। सीएच 4 कार्बनिक अपशिष्ट के अवायवीय पाचन के माध्यम से वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, जबकि दहन गतिविधियां वायुमंडल में बड़ी मात्रा में सीओ2 उत्सर्जित कर रही हैं। हालांकि विभिन्न अपशिष्ट के जलने से डाइऑक्सिन, फुरान और अन्य विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। लैंडफिल साइटों में जमा अपशिष्ट भी अस्थिर कार्बनिक यौगिक उत्पन्न करता है। उनकी उच्च अस्थिरता उन्हें खतरनाक वायु प्रदूषकों के साथ–साथ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के अग्रदूत बनाती है।

भारत में, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वैज्ञानिक निपटान का मुद्दा एक बड़ी समस्या है। भारत प्रति दिन लगभग 1,70,000 टीपीडी अपशिष्ट उत्पन्न करता है और लगभग 41,500 टीपीडी लैंडफिल साइटों पर डंप किया गया है (सीपीसीबी 2021–22)। दिल्ली–एनसीआर के संदर्भ में, एमएसडब्ल्यू प्रबंधन प्रमुख

पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। दिल्ली–एनसीआर लगभग उत्पन्न करता है 20,777 टीपीडी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का जिसमें दिल्ली का योगदान 11,500 टीपीडी है, इसके बाद हरियाणा–एनसीआर शहर 4738 टीपीडी है। उत्तर प्रदेश–एनसीआर के मामले में, यह प्रति दिन 4141 टीपीडी ताजा अपशिष्ट का योगदान देता है। राजस्थान–एनसीआर जिलों के मामले में लगभग 400 टीपीडी एमएसडब्ल्यू उत्पन्न होता है।

विरासत अपशिष्ट के संदर्भ में, दिल्ली–एनसीआर में 184.47 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से प्रमुख योगदान दिल्ली से था। तदनुसार, दिल्ली (एमसीडी) ने दिसंबर 2027 तक अपने 3 लैंडफिल साइटों के बायोमिनिंग को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। गुरुग्राम के मामले में, अधिकारियों का उद्देश्य विरासत अपशिष्ट के उपचार को पूरा करना है। ग्रेटर नोएडा ने अपने 4 एलएमटी विरासत अपशिष्ट के परिसमापन को पूरा करने के लिए भी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कीं। दैनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के मामले में, दिल्ली ने बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 7,750 टीपीडी (5000 डब्ल्यूटीई, 2000 डब्ल्यूटीई विस्तार, 450 सीबीजी, 300 बी–सीएनजी) अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ाने की योजना बनाई है। हरियाणा के एनसीआर शहरों के अधिकारी भी जरूरतों को पूरा करने के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम में दो 1500 टीपीडी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एनसीआर शहर भी उचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं (नोएडा 800 टीपीडी (600 डब्ल्यूटीई, 200 बी–सीएनजी), (ग्रेटर नोएडा 450 टीपीडी (300 डब्ल्यूटीई, 100 बी–सीएनजी, 50 विविध)) और (गाजियाबाद 2965 टीपीडी (2300 डब्ल्यूटीई, 300 बी–सीएनजी, 90 विविध)) जिससे अपशिष्ट डंपिंग और उसके जलने में कमी आती है।

खुले में जलने की रोकथाम के लिए एमएसडब्ल्यू के जलने और प्रबंधन के मामले में, सीएक्यूएम दिल्ली और एनसीआर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिए नगर निगमों, यूएलबी, एसपीसीबी और एमओएचयूए जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि ठोस अपशिष्ट जलने की गतिविधियों और लैंडफिल / डंपसाइट आग को कम किया जा सके, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके।

इस संबंध में, आयोग ने जुलाई 2022 में "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नीति" जारी की। जिसके तहत एमएसडब्ल्यू प्रबंधन और खुले कचरे को जलाने से संबंधित कार्य और लक्ष्य / समय सीमा इंगित की जाती है। आयोग ने अधिकारियों को क्षेत्र में उत्पन्न कचरे के प्रबंधन और विरासत के कचरे को समाप्त करने के लिए उपयुक्त योजनाओं को विकसित करने और निगरानी करने की सलाह दी। प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

आयोग ने पहचान की है कि दिल्ली–एनसीआर में अपशिष्ट जलने की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। इस व्यापक जलने का प्राथमिक कारण अक्षम अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें अक्सर एमएसडब्ल्यू के व्यापक प्रबंधन की कमी होती है। यह लैंडफिल और खुले स्थानों में मिश्रित अपशिष्ट के संचय की ओर ले जाता है, जिससे जलना एक सामान्य हो जाता है, भले ही अवैध, निपटान विधि है। इसके अतिरिक्त, सर्दियों के महीनों के दौरान, गरीबों और बेघरों द्वारा गर्मी के लिए कचरे को खुले में जलाना, समस्या को और तेज करता है। अपशिष्ट जलने / बायोमास के मुद्दे के बारे में आयोग ने एमएसडब्ल्यू/बायोमास (पत्तियों, टहनियों, आदि) के खुले में जलना के नियंत्रण के लिए सर्दियों में सुरक्षा

कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर प्रदान करने के लिए निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को दिनांक 07.08.2024 को एक परामर्श जारी किया।

6.8 बिखरे हुए स्रोतों से वायु प्रदूषण का उन्मूलन

फैले हुए स्रोतों से वायु प्रदूषण को कम करने की परियोजना 2022 से दिल्ली में चल रही है, जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण, शिकायतों आदि को संयोजित करना है। विभिन्न बिखरे हुए / विविध स्रोत से वायु प्रदूषण गतिविधियों से संबंधित एक समर्पित वेब–पोर्टल के माध्यम से जानकारी ली जाती है। इस प्रकार चिह्नित मुद्दों को तब संबंधित एजेंसियों को उचित समाधान के लिए सौंपा जाता है और स्थिति पोस्ट रिज़ॉल्यूशन / मुद्दे पर कार्यवाई आदि को पोर्टल पर वापस अपलोड किया जाता है। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की गई। 31.03.2025 को कुल 3,12,793 मुद्दों की पहचान की गई है, जिनमें से 2,55,690 मुद्दे (लगभग 82%) तब से हल हो गया है। इस कार्यक्रम को एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम शहरों तक भी बढ़ाया गया है और संबंधित यूएलबी के साथ समन्वय में प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना के तहत मुद्दों का उदाहरणात्मक समाधान चित्र 6.8 में दिखाया गया है।

चित्र 6.8 प्रोजेक्ट के तहत समस्याओं का उदाहरणात्मक समाधान

6.9 वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर में हरियाली और वृक्षारोपण

वायु प्रदूषण को कम करने और मरुस्थलीकरण, धूल उड़ना और हानिकारक गैसीय प्रदूषकों के निर्माण जैसी संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए, व्यापक धूल शमन रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। ऐसा करने के सबसे टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से लाभकारी तरीकों में से एक हरियाली और वृक्षारोपण गतिविधियों के व्यापक कार्यान्वयन के माध्यम से है। ये गतिविधियां वायुजनित कणों के खिलाफ प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं, धूल के संचय को कम करती हैं, और परिवेशी हवा के शुद्धिकरण में योगदान देती हैं। विशेष रूप से, ये उपाय महत्वपूर्ण हैं जब विशिष्ट कमजोर क्षेत्रों, जैसे सड़क के किनारों, केंद्रीय किनारों और खुली या खाली पड़ी भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्षेत्र के पारिस्थितिक लचीलेपन को मजबूत करने और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शहरी और उप–शहरी दोनों क्षेत्रों में हरित बेल्ट और वन सिंक का विकास आवश्यक है।

इस पृष्ठभूमि के साथ और क्षेत्र में बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए, आयोग ने हरित पहलों को सुविधाजनक बनाने और तेज करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए। एक समन्वित प्रयास में, आयोग विभिन्न सरकारी और संस्थागत हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसमें एनसीआर की राज्य सरकारें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी), केंद्र सरकार के तहत संबंधित मंत्रालय और एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के साथ–साथ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान शामिल थे। इसका उद्देश्य एक सहयोगात्मक ढांचे को बढ़ावा देना था जो बड़े पैमाने पर हरित प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा और दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में हरित आवरण को काफी बढ़ा देगा।

संरचित और प्रभावी वनीकरण रणनीतियों को लागू करने की तात्कालिकता को समझते हुए, आयोग ने सभी संबंधित हितधारकों को स्पष्ट मार्गदर्शन जारी किया। सभी भाग लेने वाली एजेंसियों को व्यापक वृक्षारोपण अभियानों को निष्पादित करने के उद्देश्य से विशिष्ट, लक्ष्य–संचालित कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित और सलाह दी गई। इन कार्य योजनाओं को मापने योग्य और परिणाम–केंद्रित किया जाना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक और स्थायी पर्यावरणीय लाभों का एहसास किया गया है। इन योजनाओं का ध्यान केवल लगाए गए पौधों की संख्या से आगे बढ़ा। गुणात्मक पहलुओं पर समान महत्व दिया गया जो किसी भी हरित पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इन योजनाओं में जोर दिए गए गुणात्मक घटकों में पारिस्थितिक उपयुक्तता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए देशी और जलवायु–लचीली पौधों की प्रजातियों का सावधानीपूर्वक और साइट–उपयुक्त चयन शामिल था। एजेंसियों को स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए बाहरी क्षति, पर्याप्त पानी, मल्चिंग और मिट्टी प्रबंधन प्रथाओं से रोपित पौधों की सुरक्षा सहित व्यापक रोपण के बाद देखभाल तंत्र को लागू करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। इसके अलावा, वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दरों को एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में पहचाना गया था, जिसमें रखरखाव और नियमित निगरानी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया था ताकि पौधे पनपने वाली हरित संपत्ति में परिपक्व हो सकें। इन जैविक और पारिस्थितिक घटकों के अलावा, एनसीआर के शहरी सड़क नेटवर्क में केंद्रीय भागों, सड़क माध्यमों, फुटपाथों और अन्य रैखिक बुनियादी ढांचे के तत्वों के हरे–भरे और परिदृश्य को भी प्राथमिकता दी गई थी।

पूरे वर्ष आयोग ने एक सक्रिय सुविधा और निगरानी भूमिका निभाई। इसने नियमित समीक्षा बैठकों, हितधारक कार्यशालाओं और साइट–स्तरीय निरीक्षणों के माध्यम से संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ लगातार संचार और जुड़ाव बनाए रखा। इन प्लेटफार्मों का उपयोग न केवल प्रगति की निगरानी के लिए किया गया था, बल्कि हितधारकों के बीच ज्ञान–साझाकरण और क्रॉस–लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया गया था। आयोग की रणनीति के एक महत्वपूर्ण तत्व में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल था। नागरिकों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, निवासी कल्याण संघों और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों को वृक्षारोपण और हरियाली के प्रयासों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया था। इस भागीदारी दृष्टिकोण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए एक गहरे सार्वजनिक सम्बन्ध को

अधिरोपित करना और स्थानीय आबादी के बीच स्वामित्व और जवाबदेही की व्यापक भावना का निर्माण करना था। सभी आयु समूहों में हरित पहलों के परिणामों को बनाए रखने और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जनता को शामिल करना महत्वपूर्ण माना गया था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित कार्य योजनाओं में परिभाषित अपेक्षाओं और लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के प्रयास प्रगति कर रहे हैं, आयोग ने सभी स्तरों पर कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा की। इन समीक्षाओं ने अपनी संबंधित योजनाओं में उल्लिखित प्रमुख संकेतकों के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों के काम का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया। जहां विसंगतियों या कमियों की पहचान की गई, आयोग ने रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए मध्य–पाठ्यक्रम सुधार का सुझाव दिया और यह सुनिश्चित किया कि लक्ष्य समय पर और कुशल तरीके से प्राप्त किए गए हों। नियमित निरीक्षण की इस प्रणाली ने जवाबदेही और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद की।

इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जीएनसीटीडी की सरकारों सहित एनसीआर के भीतर विभिन्न सरकारों और एजेंसियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जैसे कार्यान्वयन निकायों के साथ, उनके वृक्षारोपण और हरित लक्ष्यों से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सूचना दी। इनमें वृक्षारोपण स्थलों की संख्या, रोपण किए गए पौधों की कुल संख्या में वृद्धि और हरित आवरण के बेहतर अस्तित्व और रखरखाव शामिल थे। 2024–25 के लिए हरित और वृक्षारोपण का लक्ष्य/उपलब्धि तालिका 6.12 में दी गई है। ये उपलब्धियां भारत के सबसे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में से एक में पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने के लिए एक समन्वित, बहु–हितधारक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता के प्रमाण के रूप में कार्य करती हैं। 2024–25 के लिए हरित और वृक्षारोपण का लक्ष्य/उपलब्धि चित्र 6.9 में दी गई है।

तालिका 6.12 2024–25 के लिए हरित और वृक्षारोपण का लक्ष्य/उपलब्धि

एनसीआर क्षेत्र	2024–25 के लिए लक्ष्य	2024–25 की उपलब्धि
दिल्ली	56,40,593	57,55,385
उत्तर प्रदेश (एनसीआर जिले)	1,87,39,041	1,87,42,139
राजस्थान (एनसीआर जिले)	55,62,558	60,78,290
हरियाणा (एनसीआर जिले)	1,32,50,000	1,25,08,869
कुल	4,31,92,192	4,30,84,683

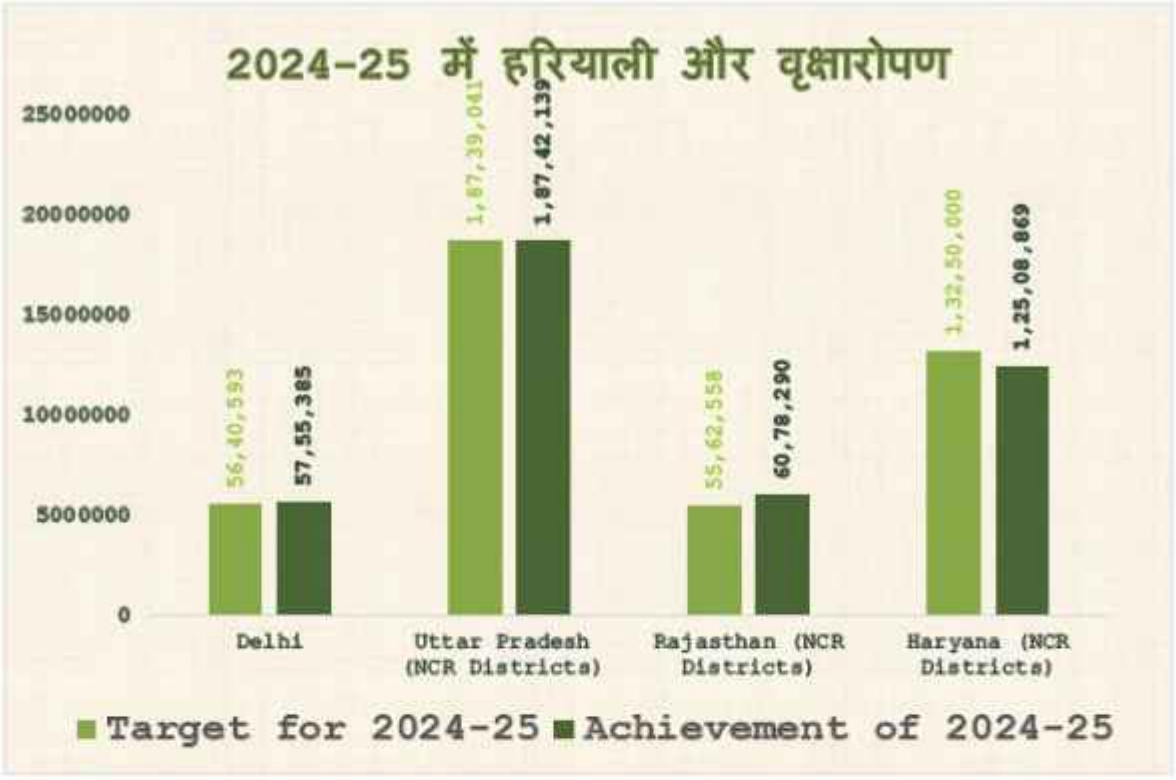

चित्र 6.9 2024–25 के लिए हरियाली और वृक्षारोपण का लक्ष्य/उपलब्धि

6.10 अनुसंधान और विकास पहल

अनुसंधान और विकास आयोग द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के तहत, वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए हैं:

(i) "दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एसएंडटी आधारित कार्य योजनाओं के साथ वाहन यातायात प्रेरित सड़क धूल पुनः निलंबन" नामक परियोजना के तहत प्रमुख जांचकर्ताओं, डॉ. एसके गोयल की संयुक्त देखरेख में संयुक्त रूप से अध्ययन किया गया था। मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, सीएसआईआर–नीरी और डॉ. नीरज शर्मा, मुख्य वैज्ञानिक, टीपीई प्रभाग, सीआरआरआई, नई दिल्ली।

(ii) "एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ 2 और 3–व्हीलर ऑटो–रिक्शा के रेट्रो–फिटमेंट का मूल्यांकन" नामक परियोजना के तहत अध्ययन प्रमुख जांचकर्ता डॉ. रवींद्र कुमार, महाप्रबंधक, ARAI, कोथरूड, पुणे की देखरेख में पूरा किया गया है।

6.11 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप)

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) एक आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य योजना है जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर आकस्मिक निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्यों के एक प्रक्रिया की मांग करती है और 2017 से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू है। आयोग ने एक प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र और प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर नियंत्रण के लिए जीआरएपी की रूपरेखा पर व्यापक रूप से पुनर्विचार किया है जो आम तौर पर चरम सर्दियों के महीनों के दौरान पूरे एनसीआर में बना रहता है।

वर्ष 2024 के लिए, दिल्ली–एनसीआर के लिए 17.09.2024 को संशोधित जीआरएपी जारी किया गया था, जिसमें विशेष रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी स्थितियों के कारण दिल्ली में आम तौर पर प्रचलित प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य से निपटने के लिए संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू की जाने वाली एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के सख्त कार्यान्वयन के लिए दिल्ली और एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया था। श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना का लोगो, CAQM चित्र 6.10 में दिखाया गया है।

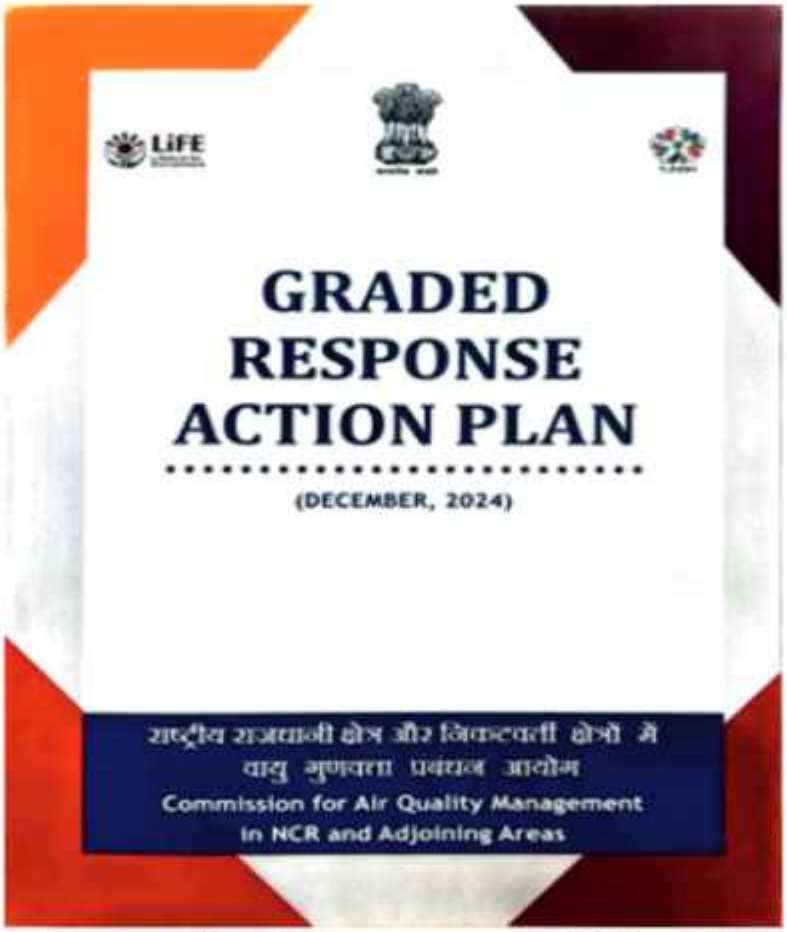

चित्र 6.10 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, CAQM का लोगो

1985 एमसी मेहता बनाम यूओआई एवं अन्य के डब्ल्यूपी नंबर 13029 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के समय और निर्देशों पर प्रगतिशील विकास के आधार पर। दिल्ली के वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों पर, जीआरएपी पर उप–समिति ने तदनुसार मामले पर विचार–विमर्श किया और जीआरएपी अनुसूची को आगे संशोधित किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और आयोग द्वारा दिनांक 13.12.2024 के आदेश द्वारा जारी किया गया था।

वैधानिक निर्देश

निर्देश संख्या 83 दिनांक 17.09.2024 –

एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की संशोधित अनुसूची।

आदेश दिनांक 13.12.2024 –

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पूरी तरह से बदली हुई अनुसूची

2024–25 के दौरान ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का आह्वान / निरसन

जीआरएपी पर उप–समिति ने वर्ष के दौरान समय–समय पर 37 बैठकें कीं और मौजूदा आईएमडी/आईआईटीएम वायु गुणवत्ता और एक्यूआई पूर्वानुमानों के आधार पर जीआरएपी के विभिन्न चरणों में उपायों को लागू किया/रद्द कर दिया। जीआरएपी चरण–I इस अवधि के दौरान लगभग 153 दिनों के लिए प्रभावी था, 127 दिनों के लिए जीआरएपी चरण–II, 44 दिनों के लिए जीआरएपी चरण–III और 27 दिनों के लिए जीआरएपी चरण– IV प्रभावी था।

6.12 प्रवर्तन कार्यबल – गुप्त निरीक्षण के लिए उड़न दस्ते

आयोग ने सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 11(5) के साथ–साथ उसके तहत किए गए सक्षम प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02.12.2021 (17.05.2024 को पुनर्गठित) को प्रवर्तन टास्क फोर्स (ईटीएफ) का गठन किया। यह आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए वैधानिक निर्देशों और संबंधित पर्यावरणीय क़ानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है।

आयोग के गंभीर उल्लंघनों/वैधानिक निर्देशों की पहचान करने के लिए गुप्त जांच करने और गैर–अनुपालन की गंभीरता के आधार पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए आयोग द्वारा 40 उड़न दस्ते/निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है। ईटीएफ, अपनी नियमित बैठकों के माध्यम से, उड़न दस्ते/निरीक्षण टीमों की सिफारिशों पर विचार करता है और आयोग द्वारा जारी विभिन्न क्लोजर निर्देशों और फिर से शुरू किए गए आदेशों की स्थिति की समीक्षा करने सहित प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट पर उचित निर्देशों की सिफारिश करता है।

31.03.2025 तक, उड़न दस्ते ने कुल 20, 423 साइटों का निरीक्षण किया, जिनमें से 639 औद्योगिक परिसर, 524 सी एंड डी साइटों और डीजी सेट का उपयोग करने वाली 41 संस्थाओं को विभिन्न वैधानिक निर्देशों, दिशानिर्देशों और आदेशों के संबंध में घोर उल्लंघन/गैर–अनुपालन करता पाया गया। तदनुसार, ऐसी 1204 इकाइयों के संबंध में बंदी करने के निर्देश जारी किए गए थे। 933 ऐसी इकाइयों को बाद में सकल उल्लंघनों को दूर करने के लिए ऐसी इकाइयों द्वारा उचित सुधारात्मक और निवारक उपायों के बाद आयोग द्वारा संचालन फिर से शुरू करने और अब से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आयोग के सभी वैधानिक निर्देशों/दिशानिर्देशों और अन्य संबंधित क़ानूनों का पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ अनुमति दी गई ।

31.03.2025 तक, गैर–अनुपालन डीजी सेटों के लिए उड़न दस्ते द्वारा कुल 2354 इकाइयों (4438 डीजी सेट) का निरीक्षण किया गया था। इनमें से 900 इकाइयों (1368 डीजी सेट) को आयोग के निर्देश संख्या 76 के संबंध में गैर–अनुपालन पाया गया और उन्हें सीलिंग आदेश जारी किए गए। संबंधित एसपीसीबी / डीपीसीसी को आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद डीजी सेट को डी–सील करने का निर्देश दिया गया था।

6.12.1 आयोग द्वारा जारी बंदी निर्देशों/सीलिंग आदेशों में पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) शुल्क के लिए मानक अनुसूची

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इकाइयों पर संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति द्वारा उन मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) शुल्क लगाए जाते हैं जहां आयोग लागू नियमों, विनियमों, निर्देशों, आदेशों और दिशानिर्देशों के सकल उल्लंघन के लिए बंदी निर्देश, सीलिंग आदेश या कारण बताओ नोटिस जारी करता है।

एनसीआर में ईसी लगाने में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने 01.01.2025 को एक व्यापक मानक अनुसूची जारी की। यह अनुसूची आयोग के उड़न दस्तों द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र, डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों और निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों में देखे गए उल्लंघनों के लिए ईसी शुल्क का राज्यवार और क्षेत्र–वार सामंजस्य प्रदान करती है।

सभी एनसीआर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को आयोग द्वारा जारी बंदी निर्देशों, कारण बताओ नोटिस और संबंधित आदेशों से उत्पन्न मामलों में ईसी लगाते समय मानक अनुसूची का संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, आयोग द्वारा जारी उल्लंघन या बंदी करने के निर्देशों के लिए ईसी लगाने के लिए अधिकृत किसी भी अन्य एजेंसियों को भी मानक अनुसूची का पालन करने के लिए उचित रूप से निर्देशित किया गया है।

7. स्थापना, वित्त और बजट

स्थापना

2024–25 के दौरान, आयोग की अध्यक्षता अध्यक्ष डॉ. एम.एम. कुट्टी द्वारा 29.04.2024 तक, डॉ. नर्मदा प्रसाद शुक्ला द्वारा 08.05.2024 से 08.09.2024 (अतिरिक्त प्रभार) और श्री राजेश वर्मा द्वारा 09.09.2024. से वर्तमान तक की गयी। इसके अलावा, तीन पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य यानी डॉ. एनपी शुक्ला (03.12. 2024 तक), डॉ. एस.डी. अत्री और डॉ. विरिंदर शर्मा, एक पूर्णकालिक सदस्य यानी डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी (23.09.2024 से) और श्री अरविंद कुमार नौटियाल, सदस्य सचिव, पदेन सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों और अन्य सदस्यों के अलावा, अधिनियम के अनुसार पदस्थ थे।

आयोग 17 वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, (एसटीसी बिल्डिंग), टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में अपने कार्यालय परिसर से संचालित होता है, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैनात वैज्ञानिकों/अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के साथ–साथ संविदात्मक/आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करता है। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में विभिन्न संवर्गों में आयोग के लिए 56 पदों को मंजूरी दी। 31.03.2025 को ऐसे पदों और पदस्थ स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोग की स्वीकृत जनशक्ति संख्या

(31.03.2025 तक)

क्रम.सं.	पद का नाम	वेतन स्तर	स्वीकृत कर्मचारी संख्या	पदस्थ व्यक्ति (नियमित)
1.	निदेशक	13	1	1
2.	वैज्ञानिक 'ई'	13	2	1
3.	कानूनी सलाहकार	13	1	-
4.	उप सचिव	12	2	1
5.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	12	1	-
6.	वैज्ञानिक 'डी'	12	2	2
7.	अवर सचिव	11	4	2
8.	प्रधान निजी सचिव	11	4	2
9.	वैज्ञानिक 'सी'	11	2	2
10.	उप विधि सलाहकार	11	1	-
11.	वैज्ञानिक 'बी'	10	7	3
12.	सहायक विधि सलाहकार	10	1	1
13.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	9	1	-

क्रम.सं.	पद का नाम	वेतन स्तर	स्वीकृत कर्मचारी संख्या	पदस्थ व्यक्ति (नियमित)
14.	अनुभाग अधिकारी	8	4	1
15.	निजी सचिव	8	4	1
16.	सहायक अनुभाग अधिकारी	7	9	4
17.	निजी सहायक	7	5	-
18.	सहायक लेखा अधिकारी	7	1	-
19.	विधि सहायक	7	2	1
20.	कनिष्ठ अनुवादक	6	1	-
21.	लेखाकार	5	1	-
	कुल		56	22

जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, सीएक्यूएम ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत समग्र शक्तियों के भीतर, अपनी भूमिकाओं और कार्यों के प्रबंधन के लिए संविदात्मक जनशक्ति / संसाधन व्यक्तियों को आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया है।

सामान्य प्रशासन

आयोग का सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्पादों और सेवाओं के अधिग्रहण और रखरखाव के साथ–साथ हाउसकीपिंग, परिवहन, स्वच्छता, सुरक्षा और प्रोटोकॉल सुविधाओं से जुड़े कार्यों से संबंधित कार्यों को संभालता है। कार्यालय प्रक्रियाओं, सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों / निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आयोग के विभिन्न प्रभागों को आवश्यक सहायता देकर, अनुभाग आयोग को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम बनाता है।

विधि प्रभाग

विधि प्रभाग आयोग के विधि मामलों के प्रबंधन और देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिवीजन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी विधि प्रक्रियाएं और कार्रवाई वैधानिक और नियामक ढांचे के सख्त अनुपालन में बनी रहें। वर्ष 2024–2025 के दौरान, डिवीजन ने कई चल रहे विधि मामलों के प्रबंधन के अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों और माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित 19 नए विधि मामलों को कुशलतापूर्वक संभाला।

प्रभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

i. प्रासंगिक मुद्दों पर गहन विधि अनुसंधान करना;

ii. विधायी मुद्दों पर समय पर विधि इनपुट प्रदान करना;

iii. आयोग के हितों की रक्षा के लिए शपथ पत्र और अन्य विधि दस्तावेजों का प्रारूपण;

iv. विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों और पैनल काउंसेलों के साथ ब्रीफिंग और समन्वय;

v. नीति और प्रशासनिक मामलों पर विधि सलाह देना।

vi. आयोग द्वारा जारी प्रमुख निर्देशों, परामर्शों और संचारों की विधि जांच;

vii. समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का प्रारूपण और/या पुनरीक्षण;

viii. प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों और विनियमों में संशोधन के लिए प्रस्तावों का प्रारूपण;

इन प्रयासों के माध्यम से, विधि प्रभाग ने आयोग को आवश्यक विधि सहायता प्रदान करना जारी रखा, जिससे इसके जनादेश के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान हुआ।

सतर्कता

सतर्कता अनुभाग आयोग में तैनात अधिकारियों/अधिकारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी मामलों को पूरा करता है। यह अनुभाग सीवीसी के सामान्य मार्गदर्शन में संगठन में सतर्कता गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस अनुभाग के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। निवारक सतर्कता, दंडात्मक सतर्कता और निगरानी और पता लगाना।

"28.10.24 से 03.11.24 के दौरान सीएक्यूएम में जागरूकता फैलाने के लिए "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया, जिसके दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी की प्रतिज्ञा की।"

2024–25 के दौरान सीएक्यूएम को अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता से जुड़ी केवल एक छद्म नाम की शिकायत प्राप्त हुई थी।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और आरटीआई से संबंधित सभी मामलों से निपटने के उद्देश्य से आयोग में एक आरटीआई सेल की स्थापना की गई है, जिसमें अपील, स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण, संबंधित रिपोर्ट और रिटर्न और आरटीआई के मामलों में समन्वय शामिल है। तदनुसार, आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है।

2024–25 की अवधि के दौरान सीएक्यूएम को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुल 84 आरटीआई अनुरोध और 12 अपील प्राप्त हुई। इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी आरटीआई अनुरोधों और अपीलों का निपटान निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाता है।

राजभाषा

आयोग अपने आधिकारिक कार्य में हिंदी के उपयोग की निगरानी करता है। जैसा कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति में परिकल्पित है, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सीएक्यूएम द्वारा आयोजित गतिविधियों में शामिल हैं:

(क)राजभाषा सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेना

(ख)14 से 29 सितंबर, 2024 तक आयोग में एक पाक्षिक कार्यक्रम "पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान 05 प्रतियोगिताएं यानी हिंदी भाषण, टिप्पण और प्रारूपण, हिंदी कविता पाठ, राजभाषा ज्ञान और हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोग के अधिकारियों के साथ–साथ संविदात्मक / आउटसोर्स कर्मचारियों ने उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(ग) आयोग के अधिकारियों द्वारा हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 04 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

(घ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कुल 04 बैठकें) की नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

शिकायत निवारण तंत्र

आयोग के पास एक शिकायत निवारण तंत्र है जिसमें शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी बकाया अभ्यावेदनों और लोक शिकायतों के प्रत्येक दो सप्ताह में समीक्षा शामिल है। आयोग ने बिना किसी पूर्व पंजीकरण के सार्वजनिक सुनवाई के लिए सप्ताह में दो दिन निर्धारित किए हैं ताकि जनता उनके मुद्दों / शिकायतों पर चर्चा कर सके और उनका समाधान कर सके। लोगों के लिए वायु प्रदूषण पैदा करने वाली एनसीआर में गतिविधियों की रिपोर्ट करना आसान बनाने के लिए, आयोग अपने सोशल मीडिया हैंडल "एक्स" पर वायु प्रदूषण के बारे में शिकायतों का भी जवाब दे रहा है।

मीडिया और आउटरीच

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का एक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) और मीडिया सेल दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय में की गई विभिन्न कार्रवाइयों के संबंध में आयोग की पहुंच का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आयोग के मीडिया प्रभाग / प्रकोष्ठ ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में व्यापक कवरेज के लिए वित्त वर्ष 2024–2025 में 45 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां और ब्रीफ जारी किए। इसके अलावा, आयोग के सोशल मीडिया हैंडल ('X') से 71 पोस्ट जारी किये थे।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के उत्सव में, स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी में सीएक्यूएम ने एसटीसी भवन, जनपथ, दिल्ली और आम जनता के भीतर काम करने वाले विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2024, "भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन" के विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों और जनता को बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, सूखे के खिलाफ लचीलापन बनाने की रणनीतियों के महत्वपूर्ण मुद्दों, पर्यावरण स्थिरता और क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम पर शिक्षित करना और संलग्न करना है।

जागरूकता अभियान में जिंगल्स, नुक्कड़ नाटक, प्रस्तुतियों आदि के माध्यम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम और आईईसी गतिविधियां शामिल थीं। एसटीसी भवन में रखे गए विभिन्न कार्यालयों में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वित्त मंत्रालय; भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न प्रभाग; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग; सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड; राज्य व्यापार निगम; सीएक्यूएम; आदि संस्थान शामिल हुए।

आयोग को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से अनुदान सहायता के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। 2024–25 के दौरान प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

वित्तीय वर्ष 2024–25

(सभी आंकड़ों में रु. करोड़)

सिर	आवंटन	अनुदान प्राप्त 2024–25	व्यय 2024–25	बकाया कोष (ले जाया गया आगे को
अनुदान सहायता –सामान्य	16.79	16.79	16.69	0.09
अनुदान सहायता –वेतन	5.36	5.36	4.44	1.2 3
अनुदान सहायता –पूंजी	0.10	0.10	-	0.10
कुल	**22.25**	**22.25**	**21.13**	**1.42**

8.खातों का वार्षिक विवरण 2024–25

वर्ष 2024–25 के लिए आयोग का वार्षिक लेखा विवरण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (खातों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2022 के अनुसार तैयार किया गया था।

भारत के महालेखा परीक्षक के अधीन महानिदेशक (लेखापरीक्षा), पर्यावरण और वैज्ञानिक विभागों के कार्यालय द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई थी। उनकी टिप्पणियों की विधिवत जांच की गई और इस संदर्भ में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई के साथ वार्षिक खाता विवरण आयोग द्वारा अपनाया गया है।

आयोग के लिए वार्षिक लेखा विवरण (2024–25) की एक प्रति, विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई के साथ, **अनुलग्नक II** में रखी गई है

9.दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य

वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग ने अपनी नीति–आधारित दृष्टिकोण, अपनी सलाह और निर्देशों/आदेशों आदि के माध्यम से फील्ड कार्रवाइयों सहित विभिन्न उपाय दिल्ली–एनसीआर से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी पहचाने गए क्षेत्रों में शुरू किए। क्षेत्र में सभी हितधारकों के ठोस और लगातार प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों (2020 को छोड़कर – कोविड के कारण लॉकडाउन का वर्ष) की तुलना में दिल्ली में अच्छे से मध्यम (एक्यूआई < 200) दिनों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है।

वर्ष 2018 से 2024 के लिए दिल्ली में वायु गुणवत्ता मापदंडों का तुलनात्मक विश्लेषण

वर्ष	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024
औसत AQI	225	215	185	209	209	204	209
अच्छी से मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या (एक्यूआई ≤ 200)	159	182	227	197	163	206	209
AQI >200 वाले दिनों की संख्या	206	183	139	168	202	159	157
औसत PM 10 (µg/m 3)	242	218	181	211	211	206	212
औसत PM 2-5(µg/ m3)	114	109	95	105	98	100	105

***कोविड वर्ष**

अनुलग्नक-I

आयोग द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान जारी किए गए दिशा–निर्देश

दिशा सं.	तारीख	विषय
80	12.04.2024	2024 में धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपडेटेड / संशोधित कार्य योजना का कार्यान्वयन और समीक्षा
81	14.06.2024	दिल्ली–एनसीआर में इंटर–सिटी बस सेवाओं का क्लीनर मोड में माइग्रेशन
82	20.08.2024	पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट गाड़ियों के पार्किंग चार्ज बढ़ाए गए
84	10.10.2024	धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान को लागू करना, 2024 तक इसे खत्म करने का टारगेट – असरदार तरीके से लागू करना
83	13.12.2024	एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का संशोधित शेड्यूल
85	02.12.2024	एनसीआर में निर्माण और तोड़–फोड़ से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और उसे कम करना
76	11.12.2024	डीजी सेट का विनियमित उपयोग– संबंधी
86	02.01.2025	सीएक्यूएम, अधिनियम, 2021 के किसी भी प्रावधान, उसके तहत बनाए गए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश या निर्देश का गैर–अनुपालन या उल्लंघन
87	02.01.2025	सीएक्यूएम, अधिनियम, 2021 के किसी भी प्रावधान, उसके तहत बनाए गए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश या निर्देश का गैर–अनुपालन या उल्लंघन

2024–25 के दौरान आयोग द्वारा जारी किए गए परामर्श

सलाहकार संख्या.	तारीख	विषय
14	24.04.2024	एनसीआर में निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क को तर्क संगत बनाने के संबंध में
15	07.08.2024	आरडब्लूए द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर का प्रावधान
16	11.11.2024	एनसीआर से एंड–ऑफ–लाइफ वाहनों के बड़े बेड़े का परिसमापन

अनुलग्नक-II

वार्षिक लेखा विवरण
2024–2025

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, ए.जी.सी.आर. भवन,
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002

नं. डीजीए / सीई / ईएसडी / ईए / एसएआर / सीएक्यूएम / 2024–25 / 363 दिनांक: 17.11.2025

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग,

सत्रहवाँ तल, जवाहर व्यापार भवन, (एस. टी. सी. बिल्डिंग),

टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

विषय: वर्ष 2024–25 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

महोदय,

मुझे वर्ष 2024–25 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली का पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा प्रशासित किया / नियुक्त किया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन लेखा परीक्षा को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसके तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाएँ। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाएँ।

संलग्नक:–पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भवदीय,

हस्ताक्षरित

उप निदेशक (निरीक्षण)

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

राय

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उस समय खत्म हुए वर्ष का आय और व्यय लेखा/रसीद और भुगतान लेखा, और वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें नियंत्रक एवं महानिदेशक लेखापरीक्षा के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 19(2) के तहत ज़रूरी लेखांकन नीति का सार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 17 (2) के साथ पढ़ी गई है।

इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ है जिसमें लेखांकन के सम्बन्ध में लेखा प्रतिपादन केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंड आदि शामिल है । कानून के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ नियम और विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह प्रदर्शन पहलू आदि, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षण रिपोर्ट की अलग से सूचना दी जाती है ।

हमारी राय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिये गए वित्तीय विवरण, लेखांकन नीति और नोट्स और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई बातों के साथ मिलकर, 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति, और सीएक्यूएम पर लागू लेखा के समान प्रारूप के अनुसार, उस वर्ष खत्म हुए वर्ष के लिए उसके वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृश्य दिखता हैं।

राय का आधार:

हमने अपना लेखा परीक्षा सीएजी के ऑडिटिंग नियमों /मानकों/ मैनुअल/ दिशा–निर्देशों/ मार्गदर्शन –टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों इत्यादि के अनुसार किया। हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षार की जिम्मेदारियों के खंड में आगे दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का जोर – कुछ नहीं

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष खातों के एक समान

प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं ।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं या नहीं, और सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों / मानकों / मैनुअल / दिशानिर्देशों / मार्गदर्शन–टिप्पणियों / आदेशों / परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय की प्रमाणन लेखापरीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. तुलन पत्र

1. संपत्ति

1.1 चालू संपत्तियां (अनुसूची 11) ₹ 138.98 लाख

1.1.1 अग्रिमों का न्यून कथन

(i) सीएक्यूएम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न सेवाओं के लिए ₹ 7.13 लाख की राशि का भुगतान किया गया जिसमे से अग्रिम के तौर पर चालू संपत्तियां ऋण, अग्रिम वगैरह , अनुसूची–11' के तहत ₹ 5.18 लाख बुक करते हुए, सीएक्यूएम ने इसे वर्ष 2024–25 (अनुसूची–21) के लिए खर्च के तौर पर बुक किया। इसका नतीजा यह हुआ कि अग्रिम को ₹ 5.18 लाख कम दिखाया गया और खर्च को उतना ही ज़्यादा दिखाया गया। परिणामतः, घाटा भी उतनी ही रकम से ज़्यादा दिखाया गया।

(ii) सीएक्यूएम ने स्टाफ की भर्ती का काम सी–डेक, दिल्ली को (दिसंबर 2023) दिया था, जिसकी कुल लागत 30.00 लाख ₹ थी। आयोग ने यह काम पूरा किए बिना (मार्च 2025) सी–डेक दिल्ली को 9.44 लाख का अंतिम भुगतान कर दिया और इस रकम को वर्ष 2024–25 (अनुसूची–21) के लिए खर्च के तौर पर बुक कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों ('चालू संपत्ति ऋण, अग्रिम आदि,' अनुसूची –11) को 9.44 लाख से कम बताया गया और उसी सीमा तक व्यय को अधिक बताया गया। परिणामतः, घाटे को भी 9.44 लाख रुपये अधिक बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप संपत्तियों को कम और व्यय दोनों को 9.44 लाख से अधिक बताया गया।

क. सामान्य

1. टर्मिनल लाभों का प्रावधान न होना– सीएक्यूएम ने अपने लेखांकन नीति में ग्रेच्युटी और छुट्टी के नकदीकरण के लिए टर्मिनल लाभों का उल्लेख किया था लेकिन नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के होने के बावजूद अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के 'टर्मिनल लाभों' जैसे ग्रेच्युटी, संचित छुट्टी के नकदीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए, लेखांकन नीति सेवानिवृत्ति लाभों के वास्तविक प्रावधान के साथ मेल नहीं है ।

2. अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बिंदु 11 के तहत, पट्टे के किराए को पट्टे की शर्तों के संदर्भ में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। सीएक्यूएम ने वर्ष के दौरान किराए के रूप में 9.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। हालांकि, अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के तहत पट्टे की विशिष्ट शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि सीएक्यूएम द्वारा भुगतान किया गया किराया वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल उपयोग किए गए अनुदान का लगभग 43 प्रतिशत है। यह चूक लेखांकन मानक (एएस) 19 – पट्टे के प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, जिसके अनुसार पट्टे की शर्तों सहित महत्वपूर्ण पट्टा समझौतों का खुलासा करना अनिवार्य है।

3. जीएफआर के नियम 238(1) के अनुसार, गैर–आवर्ती अनुदानों के मामले में, अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था या संगठन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीने के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर मंत्रालय/विभाग संस्था को भविष्य में अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर सकता है। नियम 238(2) के अनुसार, आवर्ती अनुदानों के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि का निर्गमन पिछले वर्ष के यूसी के प्रस्तुत होने के बाद ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत से अधिक का संवितरण संबंधित मंत्रालय/विभाग की संतुष्टि के अनुरूप यूसी

और पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण दोनों की प्राप्ति पर निर्भर है। बकाया अनुदान प्राप्तकर्ताओं की स्थिति से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2022–23 से 2023–24 के दौरान जारी किए गए 52.05 लाख रुपये के अनुदान के लिए लंबित अनुदान प्राप्तकर्ताओं की संख्या 31 मार्च 2025 तक बकाया थी।

क. प्रबंधन पत्र

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल न की गई कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।

ख. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

अनुदान रजिस्टर का रखरखाव न होना: जीएफआर 2017 के नियम 234 के अनुसार, अनुदान जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा फॉर्म जीएफआर–21 में दिए गए प्रारूप में अनुदान रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए। सीएक्यूएम ने वर्ष 2024–25 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थानों/संगठनों को ₹ 43.29 लाख के अनुदान जारी किए थे, हालांकि सीएक्यूएम द्वारा अनुदान रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया है। इसी तरह की समस्या पिछली रिपोर्टों में भी उठाई गई थी, हालांकि सीएक्यूएम द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), नई दिल्ली के प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जानी थी। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा MoEFCC के PAO द्वारा नहीं की गई है।

(iii) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: यह देखा गया कि वर्ष 2024–25 की अवधि के लिए भौतिक सत्यापन सामान्य प्रशासन प्रभारी द्वारा किया गया था, जो स्टोर के प्रमुख भी हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इसके अलावा, कुछ अचल संपत्तियों पर उचित पहचान संख्याएँ अंकित नहीं की गई हैं, जो सटीक लेखांकन, ट्रैकिंग और निपटान प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।

(iv) भंडार का भौतिक सत्यापन:

(क) वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्टॉक और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(v) वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता: यह पाया गया कि आयोग ने वैधानिक दायित्वों के भुगतान में देरी के कारण लगे 0.07 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान कर दिया है। आयोग पर 2024–25 के दौरान देय तिथि से छह महीने से अधिक समय से कोई वैधानिक देय राशि बकाया नहीं थी।

(vi) संस्था के कामकाज से संबंधित अन्य मामले: कुछ नहीं

ग. अनुदान सहायता: वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 22.45 करोड़ की अनुदान सहायता में से, संगठन ₹ 21.12 करोड़ की राशि का उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 1.33 करोड़ की राशि अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शेष रह गई।

हस्ताक्षरित
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

डीजीए (ईएसडी) / सं. / 365 **प्रबंधन पत्र**

दिनांक:17.11.2025

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.08.2025 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी कि गई थी। लेखापरीक्षण के दौरान मिली विसंगति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा तथा निवेदन करूँगा कि इनकी समीक्षा करने के पश्चात निम्नांकित बिन्दु पर उचित उपचारात्मक कार्यवाही की जाए:–

1. यह देखा गया कि 2023–24 के दौरान हुए ₹ 32.27 लाख के व्यय में से केवल ₹ 14.59 लाख ही अनुसूची–7 – चालू देनदारियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में दर्ज किए गए थे। शेष राशि ₹ 17.68 लाख सीएक्यूएम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप व्यय का अधिक आकलन और पिछली अवधि के व्यय का ₹ 17.68 लाख का कम आकलन हुआ।

2. वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित ₹ 1.13 लाख की राशि का भुगतान मई–जून 2025 में किया गया था। जिसे न तो वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यय के रूप में दर्ज किया गया और न ही वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक खातों में प्रावधानित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय विवरणों में व्यय में ₹1.13 लाख की कमी और देनदारियों में भी उतनी ही कमी दर्ज की गई।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची की लेखांकन नीति, एएस 15 में निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

भवदीय

हस्ताक्षरित

उप निदेशक (निरीक्षण)

श्री तरुण कुमार पिथोड़े,

सदस्य–सचिव,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग,

सत्रहवाँ तल, जवाहर व्यापार भवन, (एस. टी. सी. बिल्डिंग),

टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

प्रारूप क

[नियम 3 (1) देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

31 मार्च , 2025 को तुलनपत्र

(राशि रु)

	विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	समग्र या पूंजी निधि और दायित्व			
1	समग्र या पूंजी निधि	1	3,89,39,919	4,38,29,764
2	आरक्षितियां और अधिशेष	2	-	-
3	निश्चित या विन्यास निधियां	3	-	-
4	प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-
5	अप्रतिभूत औरऋण और उधार	5		
6	आस्थगित प्रत्यय दायित्व	6	-	-
7	चालू दायित्व और उपबंध	7	1,56,10,935	1,22,39,459
	योग		**5,45,50,854**	**5,60,69,224**
	आस्तियां			
1	स्थिर आस्थियां	8	4,06,52,998	4,29,80,152
2	निश्चित या विन्यास निधियों से विनिधान	9	-	-
3	विनिधान – अन्य	10	-	-
4	चालू आस्तियां , ऋण और अग्रिम	11	1,38,97,856	1,30,89,071
5	प्रकीर्ण व्यय (अपलिखित या समायोजित न की गई सीमा तक)		-	-
	योग		**5,45,50,854**	**5,60,69,224**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
	लेखाओं का भाग बनने वाले लेखाओं पर टिप्पण	25		

टिप्पण: तुलनपत्र की सभी अनुसूचियां, लेखा का भाग बनेगी |

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

प्ररूप ख

[नियम **3(1)** देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

31 मार्च, **2025** को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रु)

	विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय			
	सेवा से आय	12	-	-
	अनुदान या सहायकिया	13	21,12,46,869	16,29,13,427
	फीस या अभिदान	14	-	-
	विनिधान से आय (निधियां को अंतरित निश्चित या विन्यास निधियां से विनिधान पर आय)	15	-	-
	स्वामित्व , प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
	अर्जित ब्याज	17	-	-
	अन्य आय	18	-	-
	तैयार और क्रियाशील माल के स्टॉक में वृधि या कमी	19	-	-
	योग (क)		**21,12,46,869**	**16,29,13,427**
	व्यय			
	स्थापन व्यय	20	4,47,00,014	2,75,53,399
	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	16,01,91,562	12,17,83,076
	अनुदान , सहायकियों आदि पर व्यय	22	43,28,636	1,15,68,672
	ब्याज	23	6,772	28
	अवक्षयण	8	69,09,729	71,51,572
	योग (ख)		**21,61,36,714**	**16,80,56,747**
	क. अतिशेष , जो व्यय से आय का आधिक्य है (क-ख) =		(48,89,845)	(51,43,320)
	i. विशेष आरक्षिति को अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		-	-
	ii. साधारण आरक्षिति को या उससे अंतरण		-	-
	b. अतिशेष , जो अधिशेष (घाटा) , समग्र या पूंजी निधि में ले जाया गया है		**(48,89,845)**	**(51,43,320)**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
	आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	25		

टिप्पण : आय और व्यय लेखा की सभी अनुसूचियां, लेखा का भाग बनेगी |

स्थान : नई दिल्ली

तारीख :

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

प्ररूप 'ग'

[नियम देखिए 3(1)]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और संदाय लेखा

(राशि रु)

	विशिष्टियां	चालू वृष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	प्राप्तियां		
1	आरंभिक अतिशेष		
क.	हस्तगत नकदी	10,000	7,229
ख.	बैंक नकदी		
	परिचालन खाता		
	- चालू खाता	-	-
	- निक्षेप खाता	-	-
	- बचत खाता	1,06,80,817	1,05,39,216
2	प्राप्त किए गए अनुदान या सहायकियां		
क.	भारत सरकार से		
	- अनुदान : साधारण	16,04,50,000	13,50,00,000
	- अनुदान : वेतन	5,33,80,000	2,81,00,000
ख.	राज्य सरकारों से	-	-
ग.	अन्य श्रोतो से	9,580	65,688
	सेवाओं से आय	-	-
3	विनिधान से आय		
क.	निश्चित या विन्यास निधियां	-	-
ख.	निजी निधियां (अन्य विनिधान)	-	
4	प्राप्त ब्याज		
क.	बैंक निक्षेप से	4,31,259	7,71,391
ख.	ऋण और अग्रिमों से	-	-
5	अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
6	उधार ली गई रकम	-	-
7	कोई अन्य प्राप्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	योग	**22,49,61,656**	**17,44,83,524**

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

	संदाय		
1	स्थापन व्यय	4,44,95,012	2,75,53,399
2	प्रशासनिक व्यय	16,21,64,588	13,38,95,524
3	परिचालन व्यय	-	-
4	विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए किया गया संदाय		-
	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए संदाय की विशिष्टियां के साथ, निधि या परियोजना का नाम दर्शित किया जाना चाहिए)		
5	किये गये विनिधान और निक्षेप		
क.	निश्चित या विन्यास निधियां	-	-
ख.	निजी निधियां (अन्य विनिधान)	-	-
6	स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील कार्य पूंजी पर व्यय		
क.	स्थिर आस्तियों पर	45,97,607	14,61,116
ख.	प्रगतिशील कार्य पूंजी पर	-	-
7	अधिशेष धन या ऋण का प्रतिदाय		
क.	भारत सरकार को	-	-
ख.	राज्य सरकारों को	-	-
ग.	अन्य निधि प्रदाताओ को		45,561
8	वित्तीय प्रभार (ब्याज)	250	28
9	अन्य संदाय (विनिर्दिष्ट करें)	4,40,839	8,37,079
10	अंत अतिशेष		
	हस्तगत नकदी		10,000
	बैंक नकदी		
	परिचालन खाता		
	चालू खाता	-	-
	निक्षेप खाता	-	-
	बचत खाता	1,32,63,360	1,06,80,817
		22,49,61,656	**17,44,83,524**

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली-110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य-सचिव / Member-Secretary
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg

अनुसूची **1**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

समग्र या पूंजी निधि

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)		(2)	(3)
1	वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	4,38,29,764	2,43,29,550
2	जोड़े: निधि के लिए अभिदाय		2,46,43,534
3	जोड़े या (घटाए): आय और व्यय खाते से सकल आय या (व्यय) के अतिशेष का अंतरण	(48,89,845)	(51,43,320)
4	सरकार का प्रतिदेय रकम	-	-
	वर्ष के अंत में अतिशेष	3,89,39,919	4,38,29,764

अनुसूची **2**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

आरक्षितियाँ और अधिशेष

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूंजी आरक्षित	-	-
	अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
2	घटाएं - वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं - वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3	विशेष आरक्षिति		
	अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं - वर्ष के दौरान कटौती		
4	सामान्य आरक्षित		
	अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं - वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	योग	-	-

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची 3

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निधि या विन्यास निधियाँ

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

विशिष्टियां	निधिवार ब्यौरा			योग	
	निधि	निधि	नि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1) (2)				(3)	(4)
1 निधि का आरंभिक अतिशेष	-	-		-	-
2 निधियों में परिवर्तन :					
क. दान या अनुदान	-	-		-	-
ख. निधियों के लेखे में किए गए विनिधानों से आय	-	-		-	-
ग. अन्य परिवर्धन (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-		-	-
योग (1+2)	-	-		-	-
3 निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग या व्यय					
क पूंजी व्यय					
- स्थिर आस्ति	-	-		-	-
- अन्य योग	-	-		-	-
ख. राजस्व व्यय					
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-		-	-
किराया , दर और कर	-	-		-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-		-	-
योग	-	-		-	-
योग (ग)	-	-		-	-
वर्ष के अंत में सकल अतिशेष (क+ख+ग)	-	-		-	-

टिप्पण :

प्रकटन , अनुदान से संलग्न शर्तों के आधार पर सुसंगत शीर्षों के अधीन किए जाएंगे | केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधियों के रूप में दर्शाई जानी चाहिए और किसी अन्य निधियों के साथ मिश्रित नहीं की जानी चाहिए|

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **4**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

प्रतिभूत ऋण और उधार

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्रीय सरकार	-	-
2	राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
3	वित्तीय संस्थाएं		
क.	अवधि ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
4	बैंक		
क.	अवधि ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
ग.	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5	अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
6	डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	योग	-	-
	टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकमें		

अनुसूची **5**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

अप्रतिभूत ऋण और उधार

31 मार्च 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्रीय सरकार	-	-
2	राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
3	वित्तीय संस्थाएं		
क.	अवधि ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
4	बैंक		
क.	अवधि ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
ग.	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5	अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
6	डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
7	सावधि जमा		
8	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	योग	-	-
	टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकमें		

अनुसूची 6
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
आस्थगित ऋण एवं देयताएं
31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूंजीगत उपकरण और अन्यआस्तियों के आकलन द्वारा प्रतिभूति स्वीकृतियां	-	-
2	अन्य	-	-
	कुल	-	-
	नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 7
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
वर्तमान देयताएं और उपबंध
31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्तमान देयताएं		
1	स्वीकृतियां	-	-
2	विविध लेनदार : -		
क.	सामान के लिए	-	-
ख.	अन्य	21,26,597	14,59,231
3	अग्रिम प्राप्तियां	-	-
4	प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		
क.	प्रतिभूत ऋण या उधार	-	-
ख.	अप्रतिभूत ऋण या उधार	-	-
5	वैधानिक दायित्व		
क.	अतिदेय	-	-
ख.	अन्य	17,520	1,00,000
6	अन्य चालू देयताएं (मंत्रालय को देय)	1,32,48,328	1,06,80,228
	कुल (क)	**1,53,92,445**	**1,22,39,459**
	उपबंध		
1	कराधान के लिए	-	-
2	ग्रेच्युटी	-	-
3	सेवानिवृत्ति या पेंशन	-	-
4	संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5	व्यापार वारंटी या दावे	-	-
6	अवकाश वेतन देय	-	-
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)लेखा परीक्षा शुल्क	2,18,490	-
	कुल (ख)	2,18,490	-
	कुल (क+ख)	**1,56,10,935**	**1,22,39,459**

Rajendra Sharma
Deputy Secretary
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
Government of India

Dr. Sujit Kumar Bajpayee
Member-Secretary
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
Government of India

अनुसूची 8
[प्रपत्र व लेखा]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
स्थिर अस्तियां

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

	विवरण	मूल्य ह्रास की दर	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
			वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष की शुरुआत के रूप में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन पर कटौती	वर्ष के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत की तरह
क	निश्चित अस्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क	पूर्ण स्वामित्व	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ख.	पट्टे पर लिया	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2	इमारतें				-		-	-	-	-	-
क.	पूर्ण स्वामित्व	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ख.	पट्टे पर लिया	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ग.	स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-		-	-	-	-	-	-
घ.	भूमि पर अधिरचना जो इकाई से संबंधित नहीं है	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3	संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4	वाहन	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5	बिजली फिटिंग	10%	2,46,94,775			2,46,94,775	66,92,283	18,00,250	84,92,533	1,62,02,242	1,80,02,492
6	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	81,82,419	11,86,702	-	93,69,121	21,24,602	6,65,919	27,90,521	65,78,600	60,57,817
7	कार्यालय उपकरण	15%	2,45,63,297	2,84,151	-	2,48,47,448	92,85,485	23,12,984	1,15,98,469	1,32,48,979	1,52,77,812
8	कम्प्यूटर सहायक उपकरण	40%	75,72,566	31,26,754	15,032	1,06,84,288	47,26,272	19,30,825	66,57,097	40,27,191	28,46,294
9	विद्युत प्रतिष्ठान	25%	11,94,266	-	-	11,94,266	4,03,972	1,97,574	6,01,546	5,92,720	7,90,294
10	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	11,340	-	-	11,340	5,897	2,177	8,074	3,266	5,443
11	अन्य	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		-	-	-		-	-	-	-	-	-
	कुल चालू वर्ष	-	**6,62,18,663**	**45,97,607**	**15,032**	**7,08,01,238**	**2,32,38,511**	**69,09,729**	**3,01,48,240**	**4,06,52,998**	**4,29,80,152**
	पिछले वर्ष	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		-		-	-		-	-	-	-	-
	चालू पूंजीगत कार्य	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		-		-	-		-	-	-	-	-
	कुल (क+ख)	-	**6,62,18,663**	**45,97,607**	**15,032**	**7,08,01,238**	**2,32,38,511**	**69,09,729**	**3,01,48,240**	**4,06,52,998**	**4,29,80,152**

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **9**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निर्धारित या बंदोबस्ती निधि में निवेश

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां					चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-			-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-			-	-
3	शेयरों	-	-			-	-
4	डिबेंचर और बांड	-	-			-	-
5	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-			-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-			-	-
	कुल	-	-			-	-

अनुसूची **10**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निवेश अन्य

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3	शेयरों	-	-
4	डिबेंचर और बांड	-	-
5	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
	कुल	-	-

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **11**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

चालू आस्थियां , ऋण, अग्रिम आदि

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्तमान संपत्ति		
1	सूची		
	1) स्टोर और पुर्जे	-	-
	2) फुटकर उपकरण	-	-
	3) व्यापार में स्टॉक		
	क) तैयार माल		-
	ख) कार्य प्रगति पर है	-	-
	ग) कच्चा माल	-	-
2	विविध देनदार		
(ii)	छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
(iii)	अन्य	-	-
3	हाथ में नकद शेष (चेक या ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	-	10,000
4	बैंक शेष :		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
	चालू खाते पर	-	-
	जमा खाते पर	-	-
	बचत खातों पर	1,32,63,360	1,06,80,817
	गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	चालू खाते पर	-	-
	जमा खाते पर	-	-
	बचत खातों पर	-	-
5	डाकघर – बचत खाते	-	-
6	अन्य	5,49,075	5,15,864
	कुल	**1,38,12,435**	**1,12,06,681**

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एम.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (ITC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एम.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (ITC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

	ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां		
1	को ऋण :		
क	कर्मचारी	-	-
ख	संस्था के समान गतिविधियों या उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थायें	-	-
ग	अन्य (निर्दिष्ट करें		-
		-	
	नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य	-	
2	अग्रिम और अन्य राशि	-	
(क)	पूंजी खाते पर	-	-
(ख)	पूर्वभुगतान	-	-
(ग)	सुरक्षा जमा	-	-
(घ)	अन्य	85,421	18,82,390
3	प्रोद्भूत आय		
(क)	निर्धारित या बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
(ख)	निवेश-अन्य पर	-	-
(ग)	ऋण और अग्रिम पर	-	-
(घ)	अन्य (अप्राप्त देय आय सहित	-	-
4	प्राप्त दावा	-	-
	कुल (बी)	**85,421**	**18,82,390**
	कुल (क+ख)	**1,38,97,856**	**1,30,89,071**

अनुसूची **12**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

सेवाओं से आय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वृत्तिक या परामर्श सेवाएं	-	-
2	अन्य निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **13**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

अनुदान और सहायकी (सब्सिडी)

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्र सरकार	21,12,46,869	16,29,13,427
2	राज्य सरकार/सरकारें	-	-
3	सरकारी संस्थाएं	-	-
4	संस्थाएं या कल्याणकारी निकाय	-	-
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	**21,12,46,869**	**16,29,13,427**

अनुसूची **14**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

फीस या अभिदाय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
		-	-
1	प्रवेश शुल्क	-	-
2	दाखिल करने का शुल्क	-	-
3	संगोष्ठी या कार्यक्रम शुल्क	-	-
4	सलाहकारी संस्था का शुल्क	-	-
5	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

नोट – प्रत्येक मद के संबंध में लेखांकन नीतियों का खुलासा किया जाना है

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **15**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निवेश से आय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	निर्धारित निधि से निवेश	विनिधान –अन्य	
		चालू वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	ब्याज			
क.	सरकारी प्रतिभूति पर	-	-	-
ख.	अन्य बांड या डिबेंचर	-	-	-
2	लाभांश			
क.	शेयरों पर	-	-	-
ख.	म्युचुअल फंड सिक्योरिटीज पर	-	-	-
3	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
	कुल	-	-	-
	निर्धारित या बंदोबस्ती निधियों में स्थानांतरित			

अनुसूची **16**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रॉयल्टी से आय	-	-
2	प्रकाशनों से आय	-	-
3	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **17**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

अर्जित ब्याज

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सावधि जमा पर:		
क.	अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग.	संस्थाओं के साथ	-	-
घ.	अन्य	-	-
2	बचत खातों पर:		
क.	अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग.	डाकघर बचत खाते	-	-
घ.	अन्य	-	-
3	ऋण पर:		
क.	कर्मचारी/कर्मचारी	-	-
ख.	अन्य	-	-
4	देनदारी और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
	कुल	-	-

नोट - स्रोत पर कर कटौती दर्शाई जाए

अनुसूची **18**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

अन्य आय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आस्तियों के विक्रय या निपटान पर लाभ:		
क.	स्वामित्व आस्तियां	-	-
ख.	अनुदानों से अर्जित या निशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2	परिनिर्धारित वसूल किया गया जुर्माना	-	-
3	प्रकीर्ण सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4	किराया	-	-
5	प्रकीर्ण आय	-	-
	कुल	-	-

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली-110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य-सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली-110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **19**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि या कमी और कार्य प्रगति पर है

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अंतिम माल		
क.	तैयार माल	-	-
ख.	चालू कार्य	-	-
2	घटायें-प्रारम्भिक स्टाक		
क.	तैयार माल	-	-
ख.	चालू कार्य	-	-
	शुद्ध वृद्धि या (कमी) [1-2]	-	-

अनुसूची **20**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

स्थापन व्यय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	(2)	(3)	(4)
(1)			
1	वेतन और मजदूरी	3,78,91,646	2,21,04,155
2	अतिकालिक भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	15,53,044	25,71,839
4	चिकित्सा उपचार	-	-
5	शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	57,378	-
6	घरेलू यात्रा व्यय	3,95,468	-
7	विदेशी खर्च	-	-
8	एनपीएस में अभिदान	31,39,379	20,35,549
9	उपदान निधि में अभिदान	-	-
10	अवकाश वेतन पेंशन अभिदान	16,63,099	8,00,521
11	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय	-	-
12	अन्य निधि में अभिदान (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
13	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
14	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	41,335
	कुल	**4,47,00,014**	**2,75,53,399**

Rajendra Sharma
Deputy Secretary
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
Government of India
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
New Delhi-110001

Dr. Sujit Kumar Bajpayee
Member-Secretary
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
Government of India
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,

अनुसूची **21**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ऋण	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	ढुलाई और आवक वहन व्यय	-	-
4	बिजली और ऊर्जा	22,19,112	23,34,218
5	जल प्रभार	3,49,912	2,83,536
6	बीमा	-	-
7	मरम्मत और रखरखाव	1,21,50,162	66,67,866
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया, दरें और कर	9,03,05,903	7,34,01,756
10	यान चलान, अनुरक्षण भाड़ा संबंधी प्रभार	48,90,164	40,81,250
11	डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	33,49,647	10,82,269
12	छपाई और लेखन सामग्री	21,41,690	15,31,011
13	यात्रा और वाहन व्यय	5,32,447	4,15,985
14	संगोष्ठी या कार्यशालाओं पर व्यय	19,87,529	10,02,712
15	सदस्यता व्यय	8,38,384	68,990
16	शुल्क का व्यय	1,427	385
17	लेखा परीक्षक पारिश्रमिक या विधिक शुल्क	43,57,380	16,78,976
18	आतिथ्य व्यय		-
19	वृत्तिक शुल्क	1,16,64,445	70,50,391
20	पुस्तकें और पत्रिकाएँ	2,17,882	1,75,947
21	भर्ती व्यय	-	-
22	ख़राब और संदिग्ध ऋणों या अग्रिमों के लिए उपबंध	-	-
23	अपरिवर्तनीय शेष राशि वापस आ जाती है	-	-
24	पैकिंग प्रभार	-	-
25	माल ढुलाई और अन्वेषण व्यय	-	-
26	वितरण व्यय	-	-
27	विज्ञापन और प्रचार	13,590	76,024
28	कानूनी शुल्क	-	-
29	संविदा कर्मचारियों को संदाय (एमटीएस, ऑफिस बॉयज, आदि)	2,41,68,682	2,12,20,229
30	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		-
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,97,589	1,42,361
	सामान्य एवं उपभोज्य पदार्थ	4,82,947	5,10,134
	कार्यालय व्यय	22,670	59,036
	कुल	**16,01,91,562**	**12,17,83,076**

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची **22**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संस्थानों या संगठनों को दिया गया अनुदान	43,28,636	1,15,68,672
2	संस्थानों या संगठनों को दी जाने वाली सहयिकी	-	-
	कुल	43,28,636	1,15,68,672

"नोट: संस्थाओं के नाम, उनके कार्य कलापों सहित अनुदानों और सहायिकी खुलासा किया जाना है "

अनुसूची **23**

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

ब्याज

31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ब्याज		
क.	नियत ऋणों पर	-	-
ख.	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	6,522	-
2	बैंक प्रभार	250	28
	कुल	**6,772**	**28**

राजेंद्र शर्मा / Rajendra Sharma
उप सचिव / Deputy Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg,
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी / Dr. Sujit Kumar Bajpayee
सदस्य–सचिव / Member-Secretary
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas
भारत सरकार / Government of India
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग,
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg
नई दिल्ली–110001 / New Delhi-110001

अनुसूची– 24
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
(दृष्टान्त रूप)

1. लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण , जब तक अन्यथा कथन न किया जाए, ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्वन पद्वति पर तैयार जाता है ।

2. विनिधान

"दीर्घकालिक विनिधान " के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत पर किए जाते हैं । अस्थायी से भिन्न , इंकार के लिए उपबंध ऐसे विनिधानों की वहन लागत पर किया जाता है ।

"वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत से निम्न और उचित मूल्य पर की जाती है । ऐसे विनिधानों की मूल्य पर कमी के लिए उपबंध प्रत्येक विनिधान के लिए व्यष्टिक रूप से विचार किया जाता है और वैश्विक स्तर पर नहीं।

लागत के अंतर्गत अर्जन व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप आदि भी हैं ।

3. स्थावर आस्तियां

सीवर आस्तियां का कथन अर्जन की लागत पर किया जाता है जिसके अंतर्गत आवक भाड़ा, शुल्क और करों तथा अर्जन से सम्बंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय भी हैं। सन्निर्माण अन्तर्वलित करने वाली परियोजनाओं के संबंध में, पूर्व–परिचालन व्यय (जिसके अंतर्गत विशिष्ट परियोजना के लिए उसके पूर्ण होने से पूर्व ऋण पर ब्याज भी हैं) और पूंजीकृत आस्तियों का मूल्य भाग रूप में सम्मिलित हैं ।

सीवर आस्तियां जो गैर – मौद्रिक अनुदान द्वारा प्राप्त की जाती हैं (कार्पस निधि से भिन्न) उस पूंजीकृत मूल्य पर अधिकथित की जाती है जो पूंजी आरक्षिती में जमा है ।

4. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास, स्थावर आस्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं के संपरिवर्तन के कारण उदभूत होने वाले समायोजन लागत के मूल्यह्रास के सिवाय, आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य पद्वति के अनुसार उपबंधित है, जो कि संबंधित आस्तियों के अधिशेष कालावधि पर परिशोधित की जाती है ।

वर्ष के दौरान स्थावर आस्तियों में परिवर्धन या से कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है ।

5,000 रुपए या कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति पूर्ण उपबंधित है ।

5. प्रकीर्ण व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय उस वर्ष, जिसमें वह उपगत किया जाता है, से 5 वर्ष की अवधि के भीतर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

6. सरकारी अनुदान या सहायिकी

सरकारी अनुदानों के अभिदाय के रूप में प्राप्त पूंजी लागत परियोजनाओं की स्थापना हेतु पूंजी आरक्षिती के रूप में मानी जाती है।

विशिष्ट स्थावर संपत्तियों के सम्बन्ध में अनुदान संबंधित आस्तियों की लागत से कटौती के रूप में उपदर्शित की गई है। सरकारी अनुदान या सहायिकी को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार,

विदेशी मुद्रा में किए गए, संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को अभिभावी विनियम दर पर हिसाब में लिया जाता है । वर्तमान आस्तियां, विदेशी मुद्रा ऋण और विद्यमान देयताएं वर्ष के अंत में अभिभावी विनियम दर के आधार पर संपरिवर्तित की जाती हैं और यदि स्थावर संपत्ति से सम्बंधित विदेशी मुद्रा दायित्व है तो परिणामिक लाभ या हानि स्थावर आस्तियों की लागत में समायोजित की जाती है और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में समझी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा भाड़ा, पट्टे के निबंधनों के अनुसार व्यय किया जाता हैं।

9. सेवानिवृत लाभ

कर्मचारियों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर देय उपदान का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उदभूत होता है।

कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का उपबंध इस धारणा पर उद्भूत और संगणित होता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

अनुसूची – 25
समाश्रित दायित्व और लेखा टिप्पणियां
(दृष्टांत रूप)

1. समाश्रित दायित्व

आस्तित्व के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नही है शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

निम्नलिखित के संबंध में :

अस्तित्व की ओर से या उसके द्वारा दी गई बैंक प्रत्याभूति – शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

अस्तित्व की ओर से बैंक द्वारा दिए गए साख –पत्र – शून्य–रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

बैंक से छूट प्राप्त बीजक शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

आयकर, बिक्रीकर और नगरपालिका के सम्बन्ध में विवादित मांग ।

आदेशों के गैर निष्पादन के लिए पक्षकारों के दावों के संबंध में किन्तु जिनका अस्तित्व द्वारा प्रतिवाद किया गया है – शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

आयोग, कतिपय निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, विभिन्न अनुसन्धान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मंजूर की गई रकम के भावी संदाय हेतु बाध्य है। अतः यह एक समाश्रित दायित्व माना जाए जो भविष्य में संदाय हेतु उद्भूत हो सकेगा। सम्बंधित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं : –

i.	वायु गुणवत्ता प्रबंध पर अनुसन्धान	शून्य
ii.	प्रशिक्षण	शून्य
	कुल	शून्य

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखा के सम्बन्ध में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का प्राक्कथित मूल्य और जिसके लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है (शुद्ध अग्रिम) – शून्य रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

3. पट्टा संबंधी बाध्यता

वित्त पट्टा व्यवस्था के अधीन संयंत्र और मशीनरी के लिए भाड़े हेतु भावी दायित्व शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

(i) प्रबंधन की राय में , कारबार के साधारण अनुक्रम में वसूली करने पर विद्यमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दर्शित कुल रकम के बराबर है ।

(ii) 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक, विभिन्न सरकारी विभागों , कर्मचारीबृंद और अन्य को संदत्त अग्रिम और ऋण 85,421/– रुपए, संबद्ध विभाग द्वारा समझौते के अधीन व्ययों के लिए समायोज्य हैं ।

5. कराधान

आयकर अधिनियम , 1961 के अधीन किसी प्रकार की कराधान योग्य आय न होने को ध्यान में रखते हुए आयकर के लिए कोई उपबंध किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

सी.आई.एफ. के आधार पर संगणित आयातों का मूल्य :

- तैयार माल का क्रय
- कच्ची सामग्री और उसके घटक (जिसके अंतर्गत मार्गस्थ भी है)
- पूंजी माल
- विदेशी मुद्रा में भंडार, कल– पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं पर किया गया व्यय
- यात्रा
- विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को ब्याज संदाय और धन – प्रेषण
- अन्य व्यय
- विक्रय पर कमीशन
- विधिक और वृत्तिक व्यय
- प्रकीर्ण व्यय
- उपार्जन

एफ ओं बी के आधार पर निर्यातों का मूल्य

7. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक :

लेखा परीक्षकों के रूप में:

– कराधान संबंधी मामले	शून्य
– प्रबंधन सेवाओं के लिए	शून्य
– अधिप्रमाणन के लिए	शून्य
– अन्य	शून्य

8. पूर्ववर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़ों का पुनः समूहीकरण या पुनः व्यवस्थापन, जहां कहीं आवश्यक हैं, किया गया है।

9. 31 मार्च 2025 पर तथा उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा तुलन पत्र से अनुसूची 1से अनुसूची 25 पर उपाबद्ध हैं और उसका आंतरिक भाग हैं ।

10. श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ला को अपने कर्तव्यों से 03 दिसम्बर 2024 को कार्य मुक्त किया गया था उन्हें कार्यालय में प्रयोग के लिए एक लैपटॉप दिया गया था । कार्यालय मुक्त होने के श्री शुक्ला ने उसे अपने पास रखने का विकल्प चुना और उन्होंने लैपटॉप की कीतम रु. 28,994/– जमा कर दी । उक्त राशि को 31 मार्च 2025 से पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जमा किया गया ।

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2024–25 में कार्यवाही योग्य बिंदुओं का उत्तर

आयोग ने प्रमाणित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, तुलन पत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियां और खातों पर टिप्पणियाँ 30.06.2025 को सीएजी के पर्यावरण और वैज्ञानिक विभागों के महानिदेशक (लेखा परीक्षा) को प्रस्तुत किए।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आयोग के खातों का लेखा परीक्षा करने के लिए महानिदेशक (लेखा परीक्षा) पर्यावरण और वैज्ञानिक विभागों के कार्यालय द्वारा आयोग में तैनात वैधानिक लेखा परीक्षा दल ने 07.07.2025 को लेखा परीक्षा शुरू किया और 18.07.2025 को पूरा किया। तुलन पत्र, आय और व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, तुलन पत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूचियों और खातों पर टिप्पणियाँ वाले लेखा परीक्षित वार्षिक खाता विवरण के संबंध में विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्टके बिंदुवार उत्तर इस प्रकार हैं;

एस. नं.	लेखा परीक्षा दल द्वारा अवलोकन	सीएक्यूएम का जवाब
क	तुलन पत्र	
1.	संपत्ति	
1.1	चालू संपत्ति	
1.1.1	अग्रिमों का न्यून कथन	
(i)	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सीएक्यूएम ने अलग–अलग सेवाओं के लिए ₹ 7.13 लाख का भुगतान किया, जिसमें से ₹ 5.18 लाख वित्त वर्ष 2025–26 के अग्रिम अदायगी से जुड़े थे। चालू संपत्ति ऋण, अग्रिम वगैरह' – अनुसूची –11 के तहत ₹ 5.18 लाख को अग्रिम के तौर पर बुक करने के बजाय , सीएक्यूएम ने इसे साल 2024–25 (अनुसूची–21) के लिए खर्च के तौर पर बुक किया। इसका नतीजा यह हुआ कि अग्रिम को ₹ 5.18 लाख कम दिखाया गया और खर्च को भी उतना ही ज़्यादा दिखाया गया। नतीजतन, घाटा भी उतनी ही रकम से ज़्यादा दिखाया गया।	अगले वित्त वर्ष से अनुपालन के लिए टिप्पणी नोट किया गया है।
(ii)	सीएक्यूएम ने स्टाफ की भर्ती का काम सी–डेक, दिल्ली को (दिसंबर 2023) दिया था, जिसकी कुल लागत रु. 30.00 लाख थी। आयोग ने सी–डेक दिल्ली को आखिरी स्टेज का भुगतान रु. 9.44 लाख कर दिया, बिना यह काम पूरा किए (मार्च 2025) और इसे साल 2024–25 (अनुसूची–21) के खर्च के तौर पर बुक कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अग्रिम (चालू संपत्ति ऋण, अग्रिम वगैरह' अनुसूची–11) को रु. 9.44 लाख कम दिखाया गया और खर्च को भी उतना ही ज़्यादा दिखाया गया। नतीजतन, घाटा भी रु. 9.44 लाख ज़्यादा दिखाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि संपत्तियों को कम दिखाया गया और खर्च दोनों को रु. 9.44 लाख ज़्यादा दिखाया गया।	04.12.2023 के कार्य आदेश की शर्तों के मुताबिक, भर्ती परीक्षा के सफलता पूर्वक आयोजित होने और सी–डेक द्वारा आयोग को परिणाम देने के बाद बाकी भुगतान रिलीज़ किया जाना था। लेकिन, लेखा कार पद से जुड़ा केस सीएटी (प्रिंसिपल बेंच) के सामने लंबित होने की वजह से, आयोग ने सी–डेक से उस पद का परिणाम रोकने का अनुरोध किया, भले ही सी–डेक पूरा परिणाम देने के लिए तैयार था। इसलिए, सी–डेक को बाकी भुगतान 31 मार्च, 2025 को तय शर्तों के हिसाब से रिलीज़ कर दिया गया।

क.	सामान्य	
1.	सामान्य टर्मिनल लाभ का प्रावधान न करना– सीएक्यूएम ने अपनी लेखा नीतियों में ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदी करण के लिए टर्मिनल लाभ का ज़िक्र किया था, लेकिन अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 'टर्मिनल लाभ ' यानी ग्रेच्युटी, जमा छुट्टी नकदी करण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, जबकि उनके पास नियमित कर्मचारी नियुक्त थे। इसलिए, लेखा नीतियों सेवा निवृति लाभ के असल के साथ मेल नहीं है।	आगे के अनुपालन के लिए टिप्पणी नोट कर लिया गया है।
2.	अनुसूची 24 महत्व पूर्ण लेखा नीतियों के बिंदु 11 के तहत, लीज़ रेंटल को लीज़ की शर्तों के हिसाब से खर्च किया जाता है । सीएक्यूएम ने साल के दौरान किराए के तौर पर ₹ 9.03 करोड़ दिए हैं । हालांकि, अनुसूची 24 – महत्व पूर्ण लेखा नीतियों के तहत खास लीज़ की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि सीएक्यूएम द्वारा दिया गया किराया वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कुल इस्तेमाल किए गए अनुदान का लगभग 43% है। यह चूक लेखा मानकों (AS) 19 – लीज़ की डिस्क्लोज़र ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है, जिसके मुताबिक लीज़ की शर्तों सहित महत्व पूर्ण लीज़ व्यवस्था का खुलासा किया जाना चाहिए।	अगले वित्त वर्ष से आगे के अनुपालन के लिए टिप्पणी नोट किया गया है।
3.	जीएफआर के नियम 238(1) के अनुसार, नॉन–रिकरिंग अनुदान के मामले में, अनुदान पाने वाली संस्था या संगठन को वित्त वर्ष खत्म होने के बारह महीनों के अंदर उपयोग प्रमाण पत्र (उपयोग प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। इसका पालन न करने पर मंत्रालय/विभाग संस्था को भविष्य में अनुदान या वित्तीय मदद पाने से ब्लैकलिस्ट कर सकता है। नियम 238(2) के अनुसार, रिकरिंग अनुदान के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए फंड तभी जारी किया जाएगा जब पिछले साल का उपयोग प्रमाण पत्र जमा हो जाएगा। इसके अलावा, मंज़ूर रकम के 75% से ज़्यादा का वितरण, संबंधित मंत्रालय/विभाग की संतुष्टि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र और पिछले साल का लेखा परीक्षा किया हुआ वार्षिक विवरण, दोनों मिलने पर निर्भर है। बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की स्थिति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि 2022–23 से 2023–24 के दौरान जारी किए गए ₹ 52.05 लाख के अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र 31 मार्च 2025 तक बकाया थे।	• 2022–23 के दौरान 92.48 लाख रुपये जारी किए गए, इसमें से 74.4 लाख रुपये लागू करने वाली एजेंसियों ने इस्तेमाल किए और उपयोग प्रमाण पत्र सीएक्यूएम (परिशिष्ट I) के पास मौजूद हैं। • 2023–24 के दौरान 115.69 लाख रुपये जारी किए गए, इसमें से 81.7 लाख रुपये लागू करने वाली एजेंसियों ने इस्तेमाल किए और उपयोग प्रमाण पत्र सीएक्यूएम (परिशिष्ट II) के पास मौजूद हैं। • सीएक्यूएम ने कुल 208.17 लाख रुपये का अनुदान जारी किया, जिसमें से 156. 10 लाख रुपये का कुल अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण पत्र मिल गए और सिर्फ़ 52.07 लाख रुपये के लंबित उपयोग प्रमाण पत्र हैं । इस्तेमाल R & D काम

		और परियोजना अवधि के आधार पर है, इसलिए लंबित उपयोग प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट सीएक्यूएम तब इकट्ठा करेगा, जब अगली किस्त की मंजूरी होगी • सीएक्यूएम परियोजना की प्रगति को समीक्षा करता है और प्रधान अनुसंधानक के उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने के बाद अगली किस्त जारी करता है ताकि यह पक्का हो सके कि अनुदान का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए हो जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था। लंबित उपयोग प्रमाण पत्र को प्रधान अनुसंधानक अगली किस्त जारी होने से पहले सीएक्यूएम को जमा करेंगे, जिसे अगले लेखा परीक्षा के दौरान जमा किया जाएगा।
क.	**प्रबंधन पत्र**	शून्य
ख.	**आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन**	
(i)	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता लेखा परीक्षा में आंतरिक कंट्रोल प्रणाली से जुड़ी ये कमियां देखी गईं: –**	
क.	अनुदान का रजिस्टर न रखना : जीएफआर 2017 के नियम 234 के अनुसार, मंजूरी देने वाली प्राधिकारी को जीएफआर–21 के प्रारूप में अनुदान का एक रजिस्टर रखना होगा। सीएक्यूएम ने 2024–25 के समय में अलग–अलग संस्थान/संगठन को ₹43.29 लाख का अनुदान जारी किया था, लेकिन सीएक्यूएम ने अनुदान का कोई रजिस्टर नहीं रखा है। पिछली रिपोर्ट में भी इसी तरह की बात कही गई थी, लेकिन सीएक्यूएम ने इस बारे में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।	• पिछले लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, सीएक्यूएम के आर एंड डी अनुभाग ने विवरण लेआउट में फॉर्म जीएफआर–21 के अनुसार अनुदान विवरण बनाए रखा है और लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया है, हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएफआर –21 के प्रारूप में एक स्थायी भौतिक रजिस्टर नहीं रखा गया है। • इसलिए, लेखा परीक्षा टिप्पणी के हिसाब से, अनुदान का फिजिकल रजिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा, रजिस्टर को रखरखाव किया जाएगा और निरिक्षण के लिए अगले लेखा परीक्षा के सामने रखा जाएगा।

(ii)	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का सही होनाः आयोग का आंतरिक लेखा परीक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), नई दिल्ली के प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा किया जाना था। वेतन एवं लेखा कार्यालय , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2024–25 के समय के लिए सीएक्यूएम का आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया है।	आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 19.08. 2025 को एक अनुरोध लेटर भेजा गया है।
(iii)	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2024–25 के लिए भौतिक सत्यापन सामान्य प्रशासन के प्रभारी ने किया था, जो स्टोर के भी प्रमुख हैं। यह सलाह दी जाती है कि अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए एक समिति बनाई जाए। इसके अलावा, कुछ अचल संपत्तियों पर सही पहचान संख्या नहीं दी गई है, जो सही अकाउंटिंग, ट्रैकिंग और डिस्पोजल प्रक्रिया के लिए ज़रूरी हैं।	सभी अचल संपत्तियों की लेबलिंग पूरी हो गई है। ऑपरेशनल टूट–फूट की वजह से कुछ लेबल खराब हो गए होंगे; लेकिन, सभी लेबल सही पहचान संख्याके साथ ठीक से फिर से लगा दिए जाएंगे । अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापनकरने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
(iv)	इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
क.	वित्त वर्ष 2024–25 के लिए स्टॉक और कंज्यूमेबल्स सामान का भौतिक सत्यापन किया गया है।	यह सिर्फ़ रिपोर्टिंग के लिए है।
ख.	वित्त वर्ष 2024–25 के लिए पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।	अगले वित्त वर्ष से अनुपालन के लिए टिप्पणी नोट किया गया है।
(v)	कानूनी बकाया के भुगतान में नियमितताः यह देखा गया कि आयोग ने कानूनी ज़िम्मेदारियों के भुगतान में देरी की वजह से लगी ₹ 0.07 लाख की पेनल्टी का भुगतान कर दिया है। 2024–25 के दौरान आयोग पर तय तारीख से छह महीने से ज़्यादा का कोई कानूनी बकाया नहीं था।	यह सिर्फ़ रिपोर्टिंग के लिए है।
(vi)	संस्था के कामकाज से जुड़े दूसरे मामले।	
ग.	सहायता अनुदान	
	साल के दौरान मिले ₹ 22.45 करोड़ के सहायता अनुदान में से, संगठन ₹ 21.12 करोड़ का इस्तेमाल कर सका, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 1.33 करोड़ का अनुदान बिना इस्तेमाल के रह गया।	यह सिर्फ़ रिपोर्टिंग के लिए है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
दूरभाषः 011–23701213, ईमेलः caqm-ncr/gov-in
वेबसाइटः https://caqm.nic.in